अन्तर्राष्ट्रीय क्रॉनोलोजी की अनुपम प्रस्तुति

आर्थिक समीक्षा

2025-26 सार-संग्रह

प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का सारगर्भित एवं सरल प्रस्तुतीकरण

राजस्थान बजट 2026-27

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
MAA-YOJANA

- राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025
- राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025
- अप्रवासी राजस्थानी नीति 2025
- राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025
- राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति 2025
- राजस्थान रोजगार नीति 2025

स्कूल व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, एल.डी.सी. राजस्थान एस.आई., आरएएस/आरटीएस परीक्षा, ई ओ/आरओ तथा अन्य राज्य-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी

Economic Survey
2025-26

अन्तर्राष्ट्रीय क्रॉनोलोजी
की अनुपम प्रस्तुति

राजस्थान आर्थिक समीक्षा

2025-26 सार-संग्रह

प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का सारगर्भित एवं सरल प्रस्तुतीकरण

राजस्थान बजट 2026-27

स्कूल व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक,
आरएएस/आरटीएस (मुख्य) परीक्षा,
ईओ/आरओ तथा अन्य राज्य-स्तरीय प्रतियोगी
परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी

इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएँ

- प्रत्येक अध्याय का तथ्यात्मक एवं सारगर्भित प्रस्तुतीकरण
- प्रत्येक अध्याय को सारणी एवं ग्राफिक्स द्वारा समझाने का प्रयास
- आर्थिक अवधारणाओं की सहज प्रस्तुति
- वही मैटर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

प्रकाशक
पीएमसी पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
भरतपुर-321001

₹ 168.00

समर्पित

उस परम पिता परमेश्वर को जिनकी अनुकम्पा के अभाव में इस पुस्तक का प्रकाशन सम्भव नहीं था।

प्रकाशक

पीएमसी पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स

46, तारा महेन्द्र कॉलोनी, भरतपुर-321001

मो. : 8104919720

संस्करण- मार्च, 2026

पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने हेतु पाठकों के सुझाव आमन्त्रित हैं।

© लेखकाधीन

हमारी पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

सुझाव हेतु : **8104919720**

(सोमवार से शनिवार : सुबह 11 बजे से सायं 6 बजे तक)

Whatsapp पर भी सुझाव आमंत्रित हैं।

© प्रकाशकाधीन

मुद्रण : विकास बुक बाइंडर, जयपुर

इस पुस्तक का कोई भी अंश प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित करना अविधि मान्य होगा।

इस पुस्तक में दिये गए किसी भी भाग के लिए प्रकाशक/विक्रेता/मुद्रक/लेखक इस बात को कतई सुनिश्चित नहीं करता है कि इस पुस्तक में दी गई जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण है। पाठको को यदि इस पुस्तक के किसी भी अंश या प्रश्न पर कोई संशय है तो वह अपने स्रोत के आधार पर उसका आकलन करे एवं यदि इस पुस्तक में कोई विसंगति पाता है तो इससे हमें अवगत कराए जिससे कि आगामी संस्करण में इस पुस्तक में सुधार किया जा सके। इस पुस्तक को यथा सम्भव त्रुटिहीन एवं अद्यतन रूप से प्रकाशित करने के सभी प्रयास किए गये हैं, फिर भी संयोगवश यदि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा संताप के लिए, प्रकाशक, सम्पादक, लेखक, मुद्रक या विक्रेता जिम्मेवार नहीं होंगे।

किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र भरतपुर ही होगा।

अनुक्रमणिका

■	राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26	
	आर्थिक विकास के मुख्य सूचक	3
	आर्थिक समीक्षा 2025-26 : सारांश	5-18
	अध्याय 1 : कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपान्तरण	19-33
	अध्याय 2 : स्वास्थ्य एवं कल्याण	34-42
	अध्याय 3 : शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था	43-52
	अध्याय 4 : सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन	53-67
	अध्याय 5 : औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि	68-87
	अध्याय 6 : पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास	88-96
	अध्याय 7 : आधारभूत अवसंरचना	97-118
	अध्याय 8 : जन सुरक्षा एवं अनुकूलता	119-127
	अध्याय 9 : पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता	128-138
	अध्याय 10 : ग्रामीण विकास	139-146
	अध्याय 11 : शहरी विकास	147-153
	अध्याय 12 : प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएँ	154-163
	अध्याय 13 : वित्तीय प्रबन्धन एवं आर्थिक नीति	164-178
■	राजस्थान सरकार 2026-27	179-189
	सामान्य वाद-विवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएँ	190-191
	विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएँ	191-194
■	राजस्थान योजनागत व्यय : एक नजर में	195-200

नवीनतम कौन, क्या है ? के लिए Scan करें

पत्रिका के Subscription के लिए Scan करें

आर्थिक समीक्षा 2025-26 : सारांश

राजस्थान एक परिचय

भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार

- **क्षेत्रफल:** राजस्थान **3,42,239 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र के साथ भारत का **सबसे बड़ा राज्य** है।
- **देश में हिस्सा:** यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का **10.41%** है।
- **आकृति:** राज्य की आकृति विशिष्ट **समचतुर्भुजाकार (Rhomboid)** है।
- **लंबाई-चौड़ाई:** राज्य का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक **869 किलोमीटर** और उत्तर से दक्षिण तक **826 किलोमीटर** है।
- **सीमाएँ:** राजस्थान उत्तर-पश्चिम में **पाकिस्तान** के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं।

भौतिक विभाजन एवं आर्थिक अवसर

राज्य को चार प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो विशिष्ट आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं:

- **पश्चिमी रेगिस्तान:** शुष्क होने के बावजूद यह **सौर ऊर्जा उत्पादन** और **खनन** गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है।
- **अरावली पर्वतमाला:** यह क्षेत्र जैव विविधता और ऐतिहासिक स्थलों के कारण **पर्यटन** का केन्द्र है।
- **पूर्वी मैदान:** अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण यह **कृषि** के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है।
- **दक्षिण-पूर्वी पठार:** यह क्षेत्र **औद्योगिक विकास** की बड़ी संभावनाएँ प्रदान करता है।

जनसंख्या एवं आर्थिक आधारशिला

- **अनुमानित जनसंख्या:** 1 अक्टूबर, 2025 तक राज्य की अनुमानित जनसंख्या **8.33 करोड़** है, जो इसे भारत का **छठा** सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है।
- **प्रमुख फसलें:** राजस्थान **सरसों, बाजरा, जौ और दालों** के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
- **पर्यटन:** अपने किलों, महलों और त्योहारों के कारण यह उद्योग खुदरा और अनौपचारिक रोजगार का मुख्य स्रोत है।
- **आधुनिक पहचान:** राज्य वर्तमान में ई-गवर्नेंस, डिजिटल अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर एवं पवन ऊर्जा) के केन्द्र के रूप में तेजी से उभर रहा है।

विकसित राजस्थान @2047 के क्षेत्र

- **रणनीतिक रोडमैप:** इसके अंतर्गत **13 चिन्हित क्षेत्रों** के लिए विशिष्ट रोडमैप प्रदान किया गया है।

विकसित राजस्थान@2047 के 13 क्षेत्र

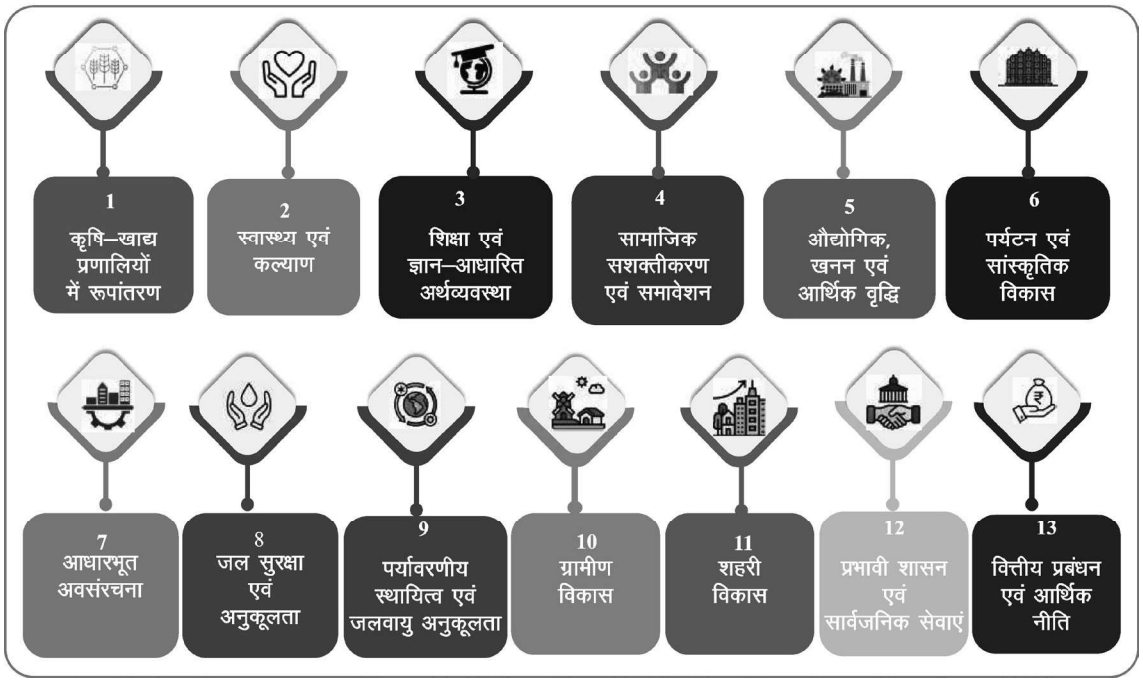

प्रमुख सांख्यिकीय सूचक
(तुलनात्मक विवरण - जनगणना 2011)

सूचक	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्र	लाख वर्ग कि.मी.	**3.42**	32.87
दशकीय वृद्धि दर (2001-11)	प्रतिशत	**21.3**	17.7
जनसंख्या घनत्व	व्यक्ति/कि.मी.	**200**	382
शहरी जनसंख्या	प्रतिशत	**24.9**	31.2
ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	**75.1**	68.8

सांख्यिकी एवं विजन दस्तावेज

सामाजिक एवं साक्षरता सूचक (जनगणना 2011)

राजस्थान और भारत के सामाजिक संकेतकों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:

- **अनुसूचित जाति (SC) जनसंख्या:** राजस्थान में 17.8% (भारत: 16.6%)।
- **अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या:** राजस्थान में 13.5% (भारत: 8.6%)।
- **लिंगानुपात:** राजस्थान में 928 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष (भारत: 943)।
- **बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष):** राजस्थान में 888 (भारत: 919)।
- **कुल साक्षरता दर:** राजस्थान में 66.1% (भारत: 73.0%)।
- **पुरुष साक्षरता दर:** राजस्थान में 79.2% (भारत: 80.9%)।
- **महिला साक्षरता दर:** राजस्थान में 52.1% (भारत: 64.6%)।
- **कार्य सहभागिता दर:** राजस्थान में 43.6% (भारत: 39.8%)।

स्वास्थ्य सूचकांक (SRS बुलेटिन 2023)*

ये आँकड़े राज्य की स्वास्थ्य स्थिति और प्रगति को दर्शाते हैं:

- **अशोधित जन्म दर:** राजस्थान में 22.9 प्रति हजार है (भारत: 18.4)।
- **अशोधित मृत्यु दर:** राजस्थान में 5.9 प्रति हजार है (भारत: 6.4)।
- **शिशु मृत्यु दर (IMR):** राजस्थान में 29 प्रति हजार जीवित जन्म है (भारत: 25)।
- **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR - 2021-23):** राजस्थान में 86 प्रति लाख जीवित जन्म है, जो राष्ट्रीय औसत (88) से बेहतर है।
- **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2019-23):** राजस्थान में 70.4 वर्ष (भारत: 70.3 वर्ष)।

दृष्टि: विकसित राजस्थान @2047

राज्य सरकार ने 2047 तक के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन दस्तावेज तैयार किया है:

- **परिकल्पना:** वर्ष 2047 तक राजस्थान को समावेशी विकास, सशक्त नागरिकों, विश्व स्तरीय अवसंरचना और पारदर्शी शासन वाला भारत का अग्रणी राज्य बनाना है।
- **विजन दस्तावेज:** 'विकसित राजस्थान @2047' एक दीर्घकालिक विकास रणनीति है जो राज्य को आर्थिक समृद्धि और सतत विकास का प्रतीक बनाने का लक्ष्य रखती है।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** एमएसएमई (MSME) को मजबूत करना, नवाचार और उद्यमिता, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, और हरित अवसंरचना पर विशेष जोर दिया गया है।

राजकोषीय प्रबंधन और आर्थिक नीति

राजस्थान का लक्ष्य रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से सतत और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करना है।

- इसके मुख्य आधार कृषि में तकनीक, औद्योगिक विस्तार, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन हैं। साथ ही, स्मार्ट सिटी और डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रमुख आर्थिक आँकड़े (अनुमानित 2025-26)

☑ **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP):**
- **प्रचलित कीमतों पर:** ₹ 18.75 लाख करोड़ (10.24% की वृद्धि)।

बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन (सितम्बर 2025 तक)

- राज्य के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है:
  - **कुल बैंक शाखाएँ:** सितम्बर 2025 तक राज्य में **9,172** बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं।
  - **शाखाओं का वर्गीकरण:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (4,619), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (1,628), निजी क्षेत्र के बैंक (2,301), लघु वित्त बैंक (577), विदेशी बैंक (7) और भुगतान बैंक (40)।
  - **जमा एवं ऋण:** * राज्य की जमा राशि में **9.75%** की वृद्धि दर्ज की गई है।
  - सितम्बर 2025 तक कुल जमाएँ **₹ 7,72,147 करोड़** और कुल ऋण **₹ 6,91,943 करोड़** रहे।
  - **ऋण-जमा अनुपात (C-D Ratio):** राजस्थान का ऋण-जमा अनुपात **89.61%** है, जो राष्ट्रीय औसत (80.43%) से काफी अधिक है।
  - **अन्य महत्वपूर्ण आँकड़े (सितम्बर 2024 तक):**
    - प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकिंग कार्यालयों की संख्या **11** है।
    - प्रति व्यक्ति बैंक जमा **₹ 92,719** और प्रति व्यक्ति बैंक ऋण **₹ 83,088** रहा।

अध्याय - 1 कृषि–खाद्य प्रणालियों में रूपान्तरण

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुधन है। प्रतिकूल जलवायु और सीमित जल संसाधनों के बावजूद, यह क्षेत्र राज्य की ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा और GSVA में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- इस खंड में विवरण राजस्थान की कृषि प्रणालियों में हो रहे सकारात्मक रूपांतरण, जलवायु-अनुकूल खेती, पशुपालन की महत्ता और आधुनिक तकनीकी एकीकरण (जैसे डिजिटल सेवाएँ एवं प्रसंस्करण) का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है।

दृष्टि वक्तव्य - विकसित राजस्थान @2047

- **लक्ष्यः** 2047 तक राजस्थान को देश की अग्रणी कृषि शक्ति बनाना।
- **रणनीतिः** उन्नत कृषि तकनीक, पशुधन सशक्तिकरण और सहकारी मॉडल द्वारा किसानों की आय बढ़ाना।
- **स्थिरताः** सूक्ष्म सिंचाई, वनरोपण और जल संरक्षण के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **परिणामः** एक आत्मनिर्भर, जलवायु-अनुकूल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ग्रामीण अर्थव्यवस्था।

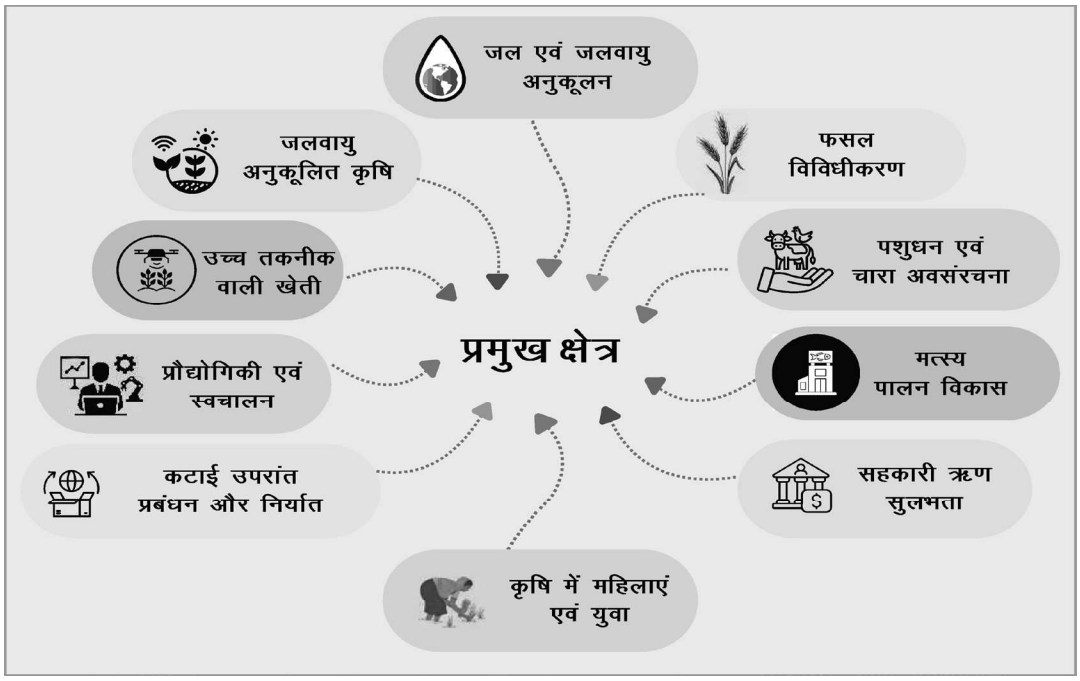

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान एवं वृद्धि

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रः वृद्धि का विवरण (2021-22 से 2025-26)

- **स्थिर कीमतों पर (2011-12):**
  - **जी.वी.ए. (GVA):** ₹ 1.92 लाख करोड़ से बढ़कर ₹ 2.23 लाख करोड़ हो गया है।
  - **वृद्धि दर (CAGR):** 3.82%।
- **प्रचलित कीमतों पर:**
  - **जी.वी.ए. (GVA):** ₹ 3.23 लाख करोड़ से बढ़कर ₹ 4.41 लाख करोड़ हो गया है।
- **वृद्धि दर (CAGR):** 8.10%

सकल मूल्य वर्धन (GVA) और वृद्धि दर (2025-26 अग्रिम अनुमान)

राज्य के कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में GVA की स्थिति इस प्रकार है:

- **प्रचलित कीमतों पर (At Current Prices):**
  - **GVA मूल्य:** ₹ 4,40,702 करोड़
  - **वृद्धि दर:** 3.47%
- **स्थिर (2011-12) कीमतों पर (At Constant Prices):**
  - **GVA मूल्य:** ₹ 2,22,550 करोड़
  - **वृद्धि दर:** 0.22%
- **वर्ष 2025-26:** राजस्थान के कुल GSVA में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान **25.74 प्रतिशत** अनुमानित है।
- **तुलना:** आधार वर्ष 2011-12 में यह योगदान 28.56 प्रतिशत था।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के घटकों का योगदान (प्रचलित मूल्यों पर)

वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र के कुल ₹ 4.41 लाख करोड़ के GVA में विभिन्न उप-क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार है:

- **पशुधन (Livestock): 49.35 प्रतिशत** (यह क्षेत्र का सबसे बड़ा घटक है)।
- **फसल (Crops):** 42.61 प्रतिशत।
- **वानिकी एवं लॉगिंग:** 7.49 प्रतिशत।
- **मत्स्य (Fishing):** 0.54 प्रतिशत।

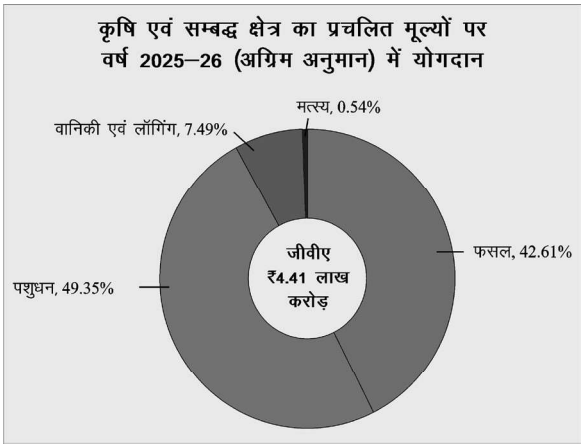

उप-क्षेत्रवार वृद्धि दर अनुमान (2025-26)

- **स्थिर (2011-12) कीमतों** पर वर्ष 2024-25 की तुलना में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि दर इस प्रकार है:
- **कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (कुल):** 0.22 प्रतिशत की वृद्धि।
  - **पशुधन क्षेत्र:** 5.20 प्रतिशत की वृद्धि।
  - **वानिकी क्षेत्र:** 2.67 प्रतिशत की वृद्धि।
  - **मत्स्य क्षेत्र:** 0.87 प्रतिशत की वृद्धि।
  - **फसल क्षेत्र:** -5.01 प्रतिशत की गिरावट (ऋणात्मक वृद्धि)

फसल क्षेत्र का आर्थिक योगदान

- वर्ष 2025-26 में फसल क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (GVA) प्रचलित कीमतों पर **₹ 1.88 लाख करोड़** रहा है।
- **मुख्य योगदानकर्ता खरीफ फसलें:** बाजरा, मूंगफली और मूंग।
- **मुख्य योगदानकर्ता रबी फसलें:** गेहूँ, राई एवं सरसों तथा चना

प्रमुख खरीफ फसलों का सकल मूल्य उत्पाद (GVO)

- **प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान:**
  - **मूँगफली:** ₹ 15,978 करोड़ (इसमें निरंतर वृद्धि देखी गई है)।
  - **बाजरा:** ₹ 9,781 करोड़।
  - **मूँग:** ₹ 9,507 करोड़।

प्रमुख रबी फसलों का सकल मूल्य उत्पाद (GVO)

- **प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान:**
  - **गेहूँ:** ₹ 38,394 करोड़।
  - **राई एवं सरसों:** ₹ 34,826 करोड़।
  - **चना:** ₹ 13,913 करोड़।
- **सर्वाधिक मूल्य वाली फसल:** रबी में **गेहूँ** और खरीफ में **मूँगफली** प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक सकल मूल्य उत्पाद (GVO) वाली फसलें हैं।

पशुधन क्षेत्र का आर्थिक योगदान (2025-26 अग्रिम अनुमान)

- **सकल मूल्य वर्धन (GVA):** प्रचलित कीमतों पर पशुधन क्षेत्र का GVA **₹ 2.17 लाख करोड़** रहा है, जो कि इसी अवधि के फसल क्षेत्र (₹ 1.88 लाख करोड़) के योगदान से भी अधिक है।
- **मुख्य आय स्रोत:** पशुधन क्षेत्र की आय का मुख्य आधार **दूध** है।
- **पशुधन उत्पादों का हिस्सा (GVO में प्रतिशत):**
  - **दूध:** 79.60%
  - **पोल्ट्री सहित माँस:** 7.46%
  - **अंडे:** 0.67%
  - **अन्य:** 12.27%

भू-उपयोग सांख्यिकी 2024-25 (प्रावधानिक)

- राज्य का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल **343.43 लाख हेक्टेयर** है। इसका विस्तृत वर्गीकरण निम्नलिखित है:
  - **शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (Net Sown Area):** 53.02%
  - **कृषि योग्य बंजर भूमि:** 10.11%
  - **वानिकी (Forestry):** 8.30%
  - **ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि:** 6.85%
  - **गैर-कृषि उपयोग के अंतर्गत भूमि:** 5.96%
  - **अन्य चालू पड़त भूमि:** 5.62%
  - **चालू पड़त (Fallow Land):** 5.22%
  - **स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि:** 4.81%
  - **विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के तहत भूमि:** 0.11%

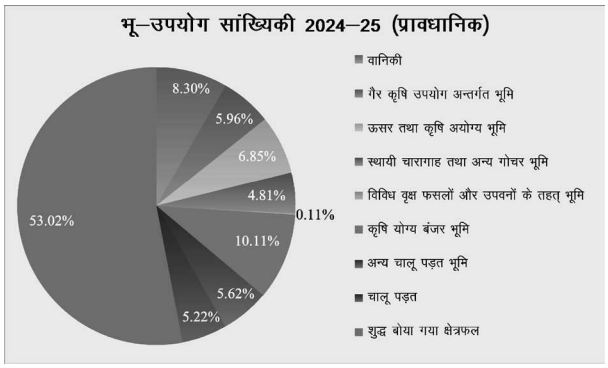

अध्याय - 2 स्वास्थ्य एवं कल्याण

- **परिभाषा:** स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है।
- **विकास एजेंडा:** राजस्थान का स्वास्थ्य एजेंडा निवारक देखभाल (Preventive Care), समावेशी सेवाओं और नवाचार के माध्यम से ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने पर केन्द्रित है।
- **महत्वपूर्ण स्तंभ:** राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मानव संसाधन विकास के एक आधारभूत स्तंभ के रूप में सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विजन स्टेटमेंट: विकसित राजस्थान @2047

- **समग्र कल्याण:** वर्ष 2047 तक राज्य के सभी नागरिकों के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण कल्याण सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।
- **एकीकृत प्रणाली:** इस विजन को एक सार्वभौमिक, सुलभ और एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली का समर्थन प्राप्त होगा।
- **खाद्य सुरक्षा:** एक पारदर्शी और नवाचार आधारित खाद्य प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं तक समान पहुँच सुनिश्चित कर आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ किया जाएगा।

प्रमुख ध्यान केन्द्रित क्षेत्र (Key Focus Areas)

- स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है:
  - **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) और पहुँच**।
  - **चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान** का विस्तार।
  - स्वास्थ्य सेवाओं में **ए.आई. (AI) का एकीकरण।**
  - **आयुष्मान स्वस्थ राजस्थान** और **चिकित्सा पर्यटन केन्द्र** के रूप में विकास।
  - **खाद्य सुरक्षा** और **मोटे अनाजों (Millets)** को प्रोत्साहन।
  - **उपभोक्ता अधिकार संरक्षण** और **विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009** का प्रभावी क्रियान्वयन।

नीतिगत सुधार और बुनियादी ढाँचा

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017:** राज्य की नीतियाँ और सुधार इसी नीति के अनुरूप गरीब और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए लागू किए जा रहे हैं।
- **ग्रामीण निवेश:** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) और उप-स्वास्थ्य केन्द्रों (SHC) के उन्नयन के माध्यम से अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ

- **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना:** यह योजना प्रत्येक परिवार को **₹ 25 लाख** तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।
- **राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS):** सरकारी कर्मचारियों और अन्य वर्गों के लिए बड़ी बीमारियों का वित्तीय बोझ कम करने वाली एक विशेष पहल है।

डिजिटल हेल्थ मिशन और नवाचार

- **तकनीकी उपयोग:** टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख और ए.आई. (AI) आधारित निदान के माध्यम से स्वास्थ्य पेशेवरों की उत्पादकता बढ़ाई जा रही है।
- **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA):** यह डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र व्यक्तियों के स्वास्थ्य अभिलेखों का एक केन्द्रीकृत संग्रह बनाता है।
  - इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- **उपलब्धियाँ (दिसम्बर, 2025 तक):**
  - **6.52 करोड़** से अधिक आभा (ABHA) आईडी जारी की जा चुकी हैं।
  - इन आईडी से **2.38 करोड़** से अधिक स्वास्थ्य अभिलेख जोड़े गए हैं।

विधिक ढाँचा: स्वास्थ्य का अधिकार

- **स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2023:** यह अधिनियम राज्य के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की कानूनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच

स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृत्ति

निम्न तालिका द्वारा राजस्थान और भारत के बीच महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानकों की तुलना (NFHS-4 बनाम NFHS-5) प्रस्तुत किया गया है:

राजस्थान और भारत के स्वास्थ्य संकेतकों की प्रवृत्ति

क्र.स.	स्वास्थ्य संकेतक (प्रति 1000 जीवित जन्म)	राजस्थान (NFHS-5)	भारत (NFHS-5)	सुधार की स्थिति
1	नवजात मृत्यु दर (NNMR)	20.2	24.9	राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
2	शिशु मृत्यु दर (IMR)	30.3	35.2	NFHS-4 (41.3) की तुलना में बड़ी गिरावट।
3	5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर	37.6	41.9	राष्ट्रीय औसत 41.9 से काफी कम है।
4	संस्थागत जन्म (प्रतिशत)	94.9%	88.6%	राज्य में 94.9% प्रसव अस्पतालों में हो रहे हैं।
5.	पूर्ण टीकाकरण (12-23 माह के बच्चे)	80.4%	76.4%	
6.	गर्भवती महिलाओं में एनीमिया (15-49 वर्ष)	46.3%	52.2%	
7.	कुल प्रजनन दर (TFR)	2.0	2.0	
8.	बौनापन (Stunting) (5 वर्ष से कम आयु)	31.8%	35.5%	
9.	दुबलापन (Wasting) (5 वर्ष से कम आयु)	16.8%	19.3%	
10.	कम वजन (Underweight) (5 वर्ष से कम आयु)	27.6%	32.1%	
स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5: 2019-21)				

प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण

- **मृत्यु दर में कमी:** राजस्थान ने नवजात, शिशु और पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर को कम करने में भारत के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **संस्थागत प्रसव:** राज्य में संस्थागत जन्म का प्रतिशत (94.9%) राष्ट्रीय औसत (88.6%) से उल्लेखनीय रूप से अधिक है, जो सुरक्षित प्रसव सेवाओं की पहुँच को दर्शाता है।

☑ **नवजात मृत्यु दर (NNMR)**
- राजस्थान की नवजात मृत्यु दर 2015-16 के **29.8** से घटकर 2019-21 में **20.2** (प्रति हजार जीवित जन्म) रह गई है।
- यह दर वर्तमान में राष्ट्रीय औसत **24.9** से काफी कम है।

☑ **शिशु मृत्यु दर (IMR)**
- यह 2015-16 में 41.3 थी, जो अब घटकर **30.3** रह गई है।

अध्याय - 3 शिक्षा एवं आधारित आधारित अर्थव्यवस्था

शिक्षा: मानव संसाधन विकास का केन्द्रीय स्तंभ

- **महत्व:** शिक्षा को क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रमुख साधन माना गया है, विशेषकर राज्य की बहुसंख्यक ग्रामीण और जनजातीय आबादी के लिए।
- **उद्देश्य:** सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना, गुणवत्ता में सुधार लाना और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना।
- **विकास की नींव:** मानवीय संसाधनों में निवेश के बिना सतत् आर्थिक और सामाजिक विकास संभव नहीं है; शिक्षा लोगों की उत्पादकता, रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ाती है।

प्रमुख डिजिटल और एकीकृत पहलें

- **समग्र शिक्षा अभियान:** यह पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा को एकीकृत करने वाली प्रमुख योजना है।
- **शाला दर्पण (Shala Darpan):** यह पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म** है।
- **प्रभाव:** इन पहलों से नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति में सुधार और निगरानी तंत्र में उल्लेखनीय योगदान मिला है।

शिक्षा, कौशल और रोजगार का एकीकरण

- **एकीकृत दृष्टिकोण:** राजस्थान ने औपचारिक शिक्षा को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए एक एकीकृत मार्ग अपनाया है।
- **अवसंरचना विस्तार:** नए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना से युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के अवसर बढ़े हैं।
- **बाजार सरेखण:** यह तकनीकी शिक्षा श्रम बाजार की उभरती आवश्यकताओं और आर्थिक क्षेत्रों के साथ संरेखित है।

राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र

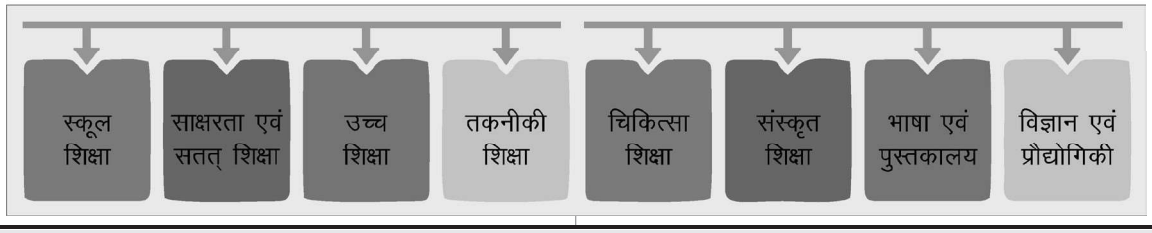

विजन स्टेटमेंट: विकसित राजस्थान @ 2047

- **प्रणाली का स्वरूप:** 2047 तक एक विद्यार्थी-केन्द्रित, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षण प्रणाली विकसित करना।
- **कौशल विकास:** छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और सॉफ्ट स्किल्स विकसित करने पर विशेष बल।
- **सांस्कृतिक समन्वय:** आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कृत को एकीकृत कर सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना।
- **अनुसंधान केन्द्र:** राज्य को अत्याधुनिक अनुसंधान और परिवर्तनकारी शिक्षा के वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करना।

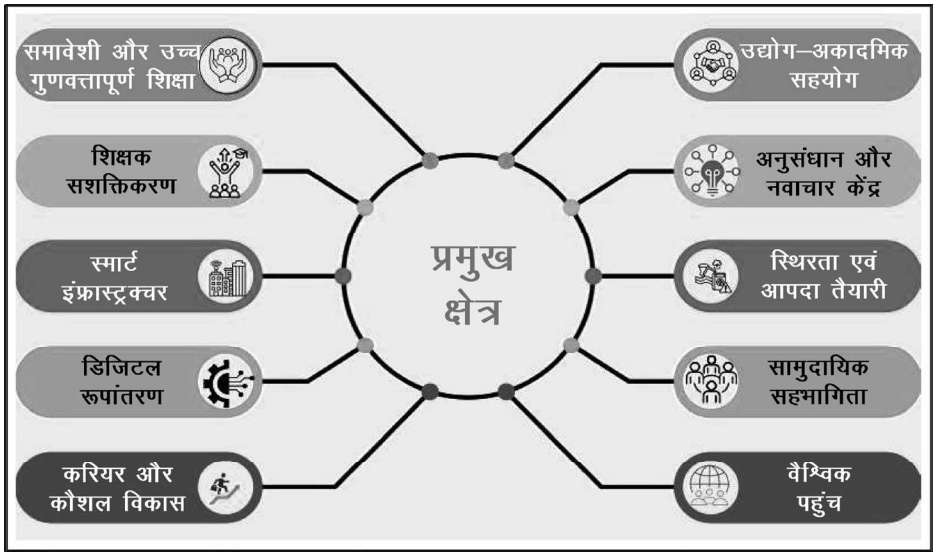

स्कूली शिक्षा का परिदृश्य और आँकड़े

स्कूली शिक्षा की वर्तमान स्थिति

- **राजकीय विद्यालयः** राज्य में 44,934 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक और 19,950 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।
- **नामांकनः** सरकारी विद्यालयों में कुल 72.93 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।
- **महत्वपूर्ण पहलें:** 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', 'परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण', प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण जैसी योजनाएँ लागू हैं।

सार्वभौमिक पहुँच व विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु

विद्यालयी बुनियादी ढाँचा

- **उच्च माध्यमिक विद्यालयः** वर्तमान में 19,950 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 1,364 केवल बालिकाओं के लिए हैं।
- **उत्कृष्ट विद्यालय योजनाः** प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक विद्यालय को 'उत्कृष्ट विद्यालय' के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुल 8,373 ऐसे विद्यालय (1,575 प्राथमिक और 6,798 उच्च प्राथमिक) चयनित हैं।
- **महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम):** वर्ष 2025-26 में कुल 3,737 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 6.84 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें 1,010 बाल वाटिकाएँ (पूर्व-प्राथमिक) भी शामिल हैं।

प्रमुख छात्र कल्याण योजनाएँ (2025-26)

छात्रों को आर्थिक सहायता और सीखने के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित हैं:

- **निःशुल्क साइकिल वितरण योजनाः** राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली बालिकाओं को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 3.25 लाख साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं और सत्र 2025-26 हेतु 3.34 लाख साइकिलों का आपूर्ति आदेश जारी है।
- **निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरण योजनाः** राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1-8 के सभी विद्यार्थियों के साथ ही कक्षा 9-12 की सभी छात्राओं, SC/ST के विद्यार्थियों तथा ऐसे विद्यार्थी, जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं। सत्र 2025-26 में 80 लाख विद्यार्थियों को 4.05 करोड़ पुस्तकों का वितरण किया गया।
- **छात्रवृत्ति योजनाएँ:** माध्यमिक शिक्षा के तहत 2.93 लाख छात्र-छात्राओं को ₹ 67.50 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई। प्रारंभिक शिक्षा में भी ₹ 20.04 करोड़ व्यय किए गए।
- **लाडो प्रोत्साहन योजनाः** पात्र बालिकाओं को 7 किश्तों में अधिकतम ₹ 1.50 लाख का भुगतान किया जाता है। दिसम्बर 2025 तक इस पर ₹ 18.09 करोड़ व्यय हुए हैं।
- **ज्ञान संकल्प पोर्टलः** विद्यालयों के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने हेतु दानदाताओं से ₹ 34.38 करोड़ के विकास कार्यों का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

स्कूली शिक्षा के तहत नवीन पहल एवं नवाचार

राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं:

- **मुख्यमंत्री सम्बल योजना:** निजी संस्थानों में डी.एल.एड. (D.El. Ed.) कर रही विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को ₹ 9,000 की शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है; दिसम्बर 2025 तक 331 लाभार्थी लाभान्वित हुए।
- **विद्यालयों का क्रमोन्नयन:** वर्ष 2025-26 में 226 उच्च प्राथमिक और 02 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।
- **समान परीक्षा प्रणाली:** राज्य के 41 लाख विद्यार्थियों के लिए 'राज्य-स्तरीय समान परीक्षा प्रणाली' लागू की गई है।
- **डिजिटल एवं अन्य पहल:**
  - पढ़ने के कौशल में सुधार हेतु **AI आधारित मौखिक पठन प्रवाह** कार्यक्रम शुरू किया गया।
  - **वीरगाथा 3.0** के तहत छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की गतिविधियों से जोड़ा गया।
  - **विश्व रिकॉर्ड:** राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में **1.53 करोड़** छात्रों ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

- पंजीकृत मदरसों को डिजिटल और भौतिक संसाधनों (स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर आदि) से उन्नत करने हेतु यह योजना संचालित है।
- **वित्तीय सहायता:** प्राथमिक स्तर के मदरसों को ₹ 15 लाख और उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को **₹ 25 लाख** तक की सहायता दी जाती है।
- **अनुपात:** व्यय का **90% राज्य सरकार** और 10% मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाता है।
- **उपलब्धि:** दिसम्बर 2025 तक कुल **305 मदरसों** को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है।

प्रमुख शिक्षा संकेतक

सकल नामांकन अनुपात

- स्कूली शिक्षा के किसी विशेष स्तर में कुल नामांकन, आयु की परवाह किए बिना, आधिकारिक आयु-समूह की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जो किसी दिए गए स्कूल वर्ष में स्कूली शिक्षा के दिए गए स्तर के अनुरूप होता है।

अध्याय - 4 सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन

सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशी विकास

- **उद्देश्य:** समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और वंचित समूहों को अवसरों, सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
- **महत्व:** सामाजिक सशक्तीकरण से न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि मानव पूँजी, उत्पादकता और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता भी सुदृढ़ होती है।
- **समन्वित दृष्टिकोण:** राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका संवर्धन, सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है।

लक्षित समूह और जीवन-चक्र दृष्टिकोण

- **कवरेज:** इस अध्याय में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, युवाओं, श्रमिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों, विमुक्त एवं घुमंतू जातियों, SC, ST और OBC समुदायों के सशक्तीकरण की पहलें शामिल हैं।
- **रणनीति:** इसमें सम्मिलित नीतियाँ और कार्यक्रम **'जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण'** को प्रतिबिंबित करते हैं, जो जीवन के विभिन्न चरणों में सामाजिक असुरक्षाओं को दूर कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं।

लैंगिक सशक्तीकरण: एक प्रमुख स्तंभ

- **प्राथमिकता:** बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं के कौशल विकास, उद्यमिता, सुरक्षा और वित्तीय सुदृढ़ता पर विशेष बल दिया गया है।
- **लक्ष्य:** लैंगिक असमानताओं को कम करना और महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना।

डिजिटल नवाचार और सेवा प्रदायगी

- **तकनीकी उपयोग:** जन आधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालियों और ऑनलाइन निगरानी तंत्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की गई है।
- **प्रभाव:** इन नवाचारों से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक प्रभावी रूप से पहुँच रहा है।

विज़न स्टेटमेंट: विकसित राजस्थान @ 2047

- **भविष्य की परिकल्पना:** वर्ष 2047 तक राजस्थान एक समतापूर्ण, समावेशी और समृद्ध राज्य के रूप में उभरेगा।
- **अधिकार और सम्मान:** SC, ST और अल्पसंख्यक सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, और महिलाएं व बच्चे सम्मानजनक व सुरक्षित जीवन व्यतीत करेंगे।
- **विज़न: कुशल युवा और खेल विकास** : राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम कार्यबल और दक्ष युवाओं को प्रमुख प्रेरक माना गया है। खेल, फिटनेस और प्रतिभा विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा अर्जित कर वैश्विक उत्कृष्टता प्राप्त कर सके।

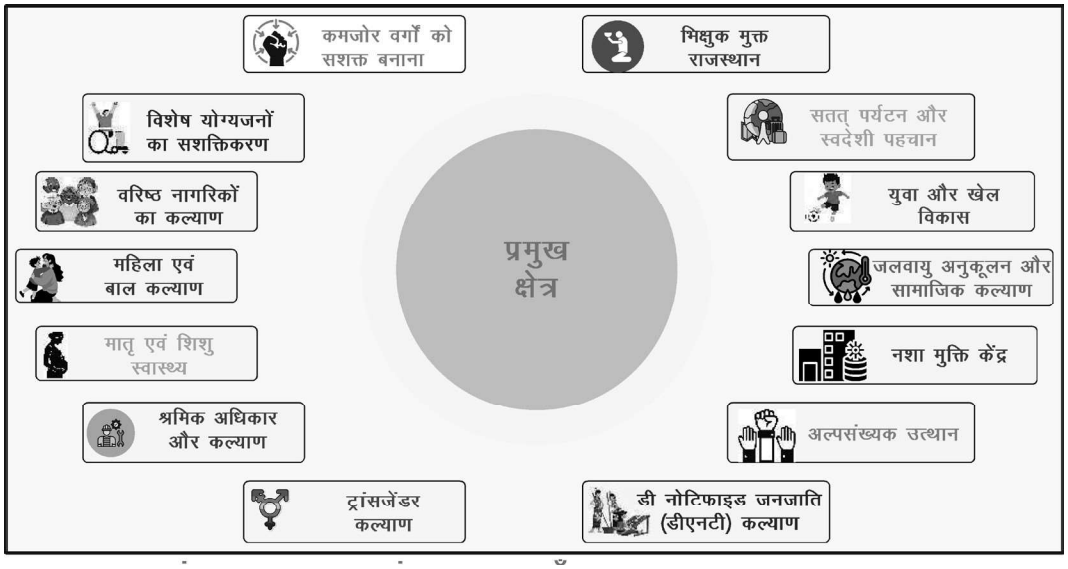

सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धियाँ

सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) में प्रगति (2020-21 से 2023-24)

राजस्थान ने सामाजिक क्षेत्र के एस.डी.जी. इण्डिया इंडेक्स में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया है:

- **SDG 1 (गरीबी का अंत):** इसमें सबसे अधिक **19 अंकों की वृद्धि** हुई है, जो गरीबी उन्मूलन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **SDG 5 (लैंगिक समानता):** इसमें **13 अंकों का सुधार** हुआ है।
- **SDG 2 (भुखमरी समाप्त करना):** इसमें **11 अंकों की वृद्धि** दर्ज की गई है।
- **SDG 6 (शुद्ध जल एवं स्वच्छता):** इसमें **06 अंकों का सुधार** हुआ है।
- **SDG 10 (असमानताओं में कमी):** इसमें **04 अंकों की प्रगति** हुई है।
- **SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य) और SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा):** दोनों क्षेत्रों में **03-03 अंकों की वृद्धि** देखी गई है।

लक्षित समूह एवं कवरेज रूपरेखा

राज्य ने सामाजिक सशक्तीकरण और समावेशन के लिए एक सुव्यवस्थित ढाँचा तैयार किया है, जिसे चार विषयगत क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

- **शैक्षिक विकास:** इसका केन्द्र शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर पहुँच, आधुनिक पाठ्यक्रम और ज्ञान व कौशल का विकास करना है ताकि शिक्षा को सामाजिक-आर्थिक जरूरतों से जोड़ा जा सके।
- **आर्थिक विकास:** यह नौकरियों, उत्पादन और नवाचार के जरिए आर्थिक खुशहाली बढ़ाने, मानवीय पूँजी में निवेश करने और गरीबी कम कर जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ निरंतर विकास व मजबूत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने पर केन्द्रित है।
- **समाज कल्याण:** जरूरतमंद परिवारों और वंचित समूहों को स्वास्थ्य सेवा, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक सहायता प्रदान कर सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है।
- **सामाजिक सुरक्षा:** यह बेरोजगारी, विकलांगता या अन्य कठिनाइयों के समय वित्तीय सहायता प्रदान कर एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जिससे परिवारों में आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

लैंगिक सशक्तीकरण एवं समावेशन

लैंगिक सशक्तीकरण को राज्य के समावेशी विकास की मूल आधारशिला माना गया है।

- **दृष्टिकोण:** इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को अपनी पूर्ण क्षमताओं को साकार करने में सक्षम बनाना है।
- **प्रमुख हस्तक्षेप:** राज्य संरचनात्मक बाधाओं को कम करने, कौशल तक पहुँच सुदृढ़ करने, वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने और विधिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नवाचार अपना रहा है।
- **लक्ष्य:** विकास प्रक्रिया में महिलाओं की गरिमा, आत्मनिर्भरता और सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करना।

चार विषयगत क्षेत्रों के अन्तर्गत वगीकृत विभिन्न योजनाएँ

शैक्षिक विकास
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
- काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना

आर्थिक विकास
- स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) को समर्थन
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना
- मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम–जॉब वर्क योजना

सामाजिक कल्याण
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
- मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना
- महिला विकास कार्यक्रम
- लाडो प्रोत्साहन योजना
- 181 महिला हेल्पलाईन
- त्रि–स्तरीय महिला समाधान समिति
- मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना
- महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य हब "मिशन शक्ति"
- पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013
- महिला कल्याण कोष
- विधवा विवाह उपहार योजना
- किशोरी बालिका योजना
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021
- कालीबाई भील उड़ान योजना
- कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान

सामाजिक सुरक्षा
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
- सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन / राज्य स्तरीय महिला सदन
- शक्ति सदन योजना
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (एम.एस.एस.के.)
- वन स्टॉप सेन्टर / सखी केन्द्र
- पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र

अध्याय - 5 औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र : एक संगम

राजस्थान का औद्योगिक और खनन क्षेत्र संसाधनों की प्रचुरता और प्रगतिशील नीतियों का एक गतिशील संगम है।

- **संसाधन:** राज्य समृद्ध खनिज भण्डारों, विश्व-प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों और पारंपरिक कौशल से सम्पन्न है।
- **अवसर:** ये विशेषताएँ विशेष रूप से **MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)** क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा गतिविधियों के लिए व्यापक अवसर सृजित करती हैं।

प्रमुख नीतिगत पहलें (2024-25)

निवेश आकर्षित करने के लिए राजस्थान सरकार ने कई नई और प्रगतिशील नीतियाँ लागू की हैं:

- **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024**
- **राजस्थान MSME नीति 2024**
- **राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025**
- **राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025**
- **राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025**
- **राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2025**

आधारभूत संरचना और कौशल विकास

- **कनेक्टिविटी:** रीको (RIICO) द्वारा **दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC)** और **वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC)** के माध्यम से बेहतर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।
- **कौशल संवर्धन:** 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' और 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' के माध्यम से पारंपरिक कौशल को आधुनिक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ा जा रहा है।
- **विविधता:** रिफाइनरी और सिटी गैस वितरण परियोजनाओं से पेट्रोलियम क्षेत्र का विकास औद्योगिक आधार को विविध बना रहा है।

विजन स्टेटमेंट: विकसित राजस्थान @ 2047

राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक के लिए एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया है:

- **लक्ष्य:** राजस्थान को भारत का **प्रमुख औद्योगिक और निवेश केन्द्र** बनाना।
- **फोकस:** MSME, पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण और न्यूनतम नियामक बाधाओं पर विशेष बल।
- **सशक्तिकरण:** अत्याधुनिक कौशल, नवाचार और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना।

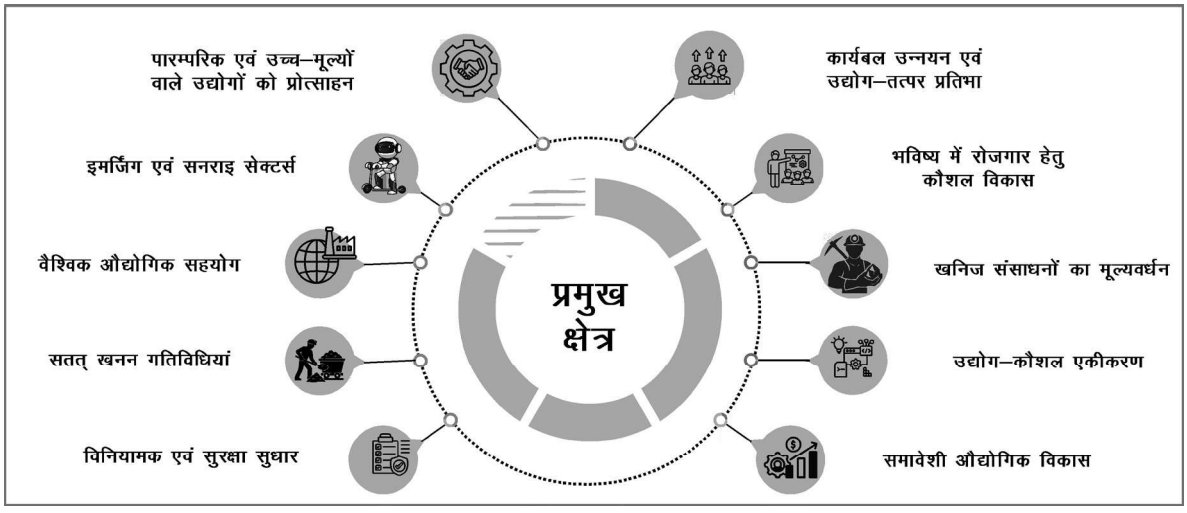

राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान

उद्योग क्षेत्र का सामान्य परिदृश्य (2025-26)

राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति के मुख्य आँकड़े इस प्रकार हैं:

- **स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वृद्धि:** वर्ष 2025-26 के लिए उद्योग क्षेत्र में **7.02 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **सकल मूल्य वर्द्धन (जी.वी.ए.) का विस्तार:**
  - **स्थिर मूल्यों पर:** वर्ष 2011-12 में ₹ 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹ 2.48 लाख करोड़ (अग्रिम अनुमान) हो गया है।

- **प्रचलित मूल्यों पर:** यह राशि वर्ष 2025-26 में **₹ 4.54 लाख** करोड़ तक पहुँच गई है।

- **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR):** पिछले 14 वर्षों (2011-12 से 2025-26) में स्थिर मूल्यों पर यह **4.36%** और प्रचलित मूल्यों पर **8.98%** रही है।

☑ **उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय विश्लेषण (प्रचलित मूल्यों पर - 2025-26)**

- राजस्थान के कुल जी.वी.ए. में उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55 प्रतिशत है। इसके भीतर विभिन्न उप-क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार है:
  - **विनिर्माण (Manufacturing):** सर्वाधिक **40.52 प्रतिशत** हिस्सा।
  - **निर्माण (Construction): 35.02 प्रतिशत** हिस्सा।
  - **खनन एवं उत्खनन (Mining & Quarrying): 12.42 प्रतिशत** हिस्सा।
  - **विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएँ: 12.04 प्रतिशत** हिस्सा।

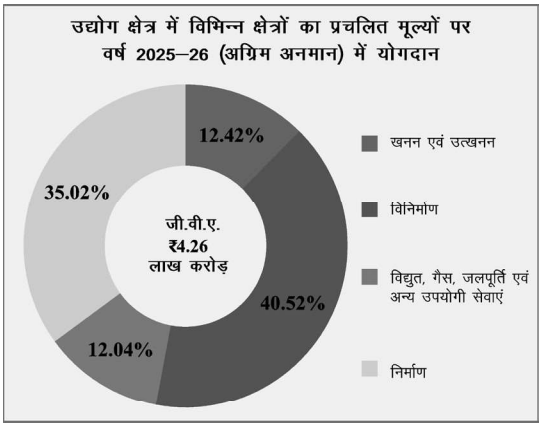

☑ **वृद्धि दर तुलना (स्थिर मूल्यों पर): 2024-25-2025-26)**

वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 के दौरान उप-क्षेत्रों में निम्नलिखित वृद्धि/कमी देखी गई है:

- **सर्वाधिक वृद्धि:** विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में 9.37 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई।
- **अन्य सकारात्मक वृद्धि:** निर्माण क्षेत्र में 8.27% और विनिर्माण क्षेत्र में 7.84% की वृद्धि रही।
- **नकारात्मक पक्ष:** खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 1.41 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

☑ **दीर्घकालिक विकास (सी.ए.जी.आर. - 14 वर्ष)**

उद्योग क्षेत्र का स्थिर (2011-12) मूल्यों पर क्षेत्रवार वर्ष 2011-12 से 2025-26 के बीच चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का विवरण इस प्रकार है:

- **विद्युत, गैस, जल आपूर्ति:** उच्चतम विकास दर **6.32%**।
- **विनिर्माण: 4.75%** की दर से वृद्धि।
- **निर्माण: 4.04%** की दर से वृद्धि।
- **खनन एवं उत्खनन: 2.56%** की दर से वृद्धि

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- IIP एक समग्र संकेतक है, जो कि एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है, जिसका मासिक आधार पर संकलन किया जाता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12)

क्षेत्र	2024-25	2025-26 (प्रावधानिक)
विनिर्माण (Manufacturing)	175.21	181.17
खनन (Mining)	97.30	87.94
विद्युत (Electricity)	179.77	161.00
सामान्य सूचकांक (General Index)	154.38	153.29

आधारभूत संरचना का विकास

रीको (RIICO)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) द्वारा अब तक 445 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है।

- वर्तमान में संचालित जिला उद्योग व वाणिज्य केन्द्र : 43
- उपकेन्द्र : 6
- **नवीन औद्योगिक क्षेत्र:** वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) में **19 नए औद्योगिक क्षेत्र** विकसित किए गए हैं।
- **19 नए क्षेत्र:** अजयमेरू पालरा विस्तार (अजमेर), बोरावास द्वितीय चरण, (बालोतरा), सेरेमिक पार्क गजनेर (बीकानेर), धुंवाला, (भीलवाड़ा), महुवा कलां (भीलवाड़ा), पण्डेर (भीलवाड़ा) आईटी पार्क (अजमेर) बंजारी सुहागपुरा (बाँसवाड़ा) भिण्डर, सगतपुरा (उदयपुर) रूंध सौंखरी, कठूमर (अलवर), कचारिया, किशनगढ़ (अजमेर), स्टोन पार्क, गुण्डी फतेहपुर, (कोटा) वेस्ट रिसाईकलिंग पार्क, गुण्दी फतेहपुर (कोटा) पीपलखेडी, (बारां) केकड़ी विस्तार, (अजमेर) टेक्सटाइल पार्क, रूपाहेली, (भीलवाड़ा), बरौली (धौलपुर), पीपलूंद, (भीलवाड़ा), कीड़ीमाल (भीलवाड़ा)।
- **भूमि अधिग्रहण:** इस अवधि में **7,654.63 एकड़** भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
- **वित्तीय प्रगति:** रीको ने ₹ 1220.99 करोड़ व्यय किए और ₹ 2,050.73 करोड़ की वसूली की।

राजस्थान में प्रमुख पर्यटन

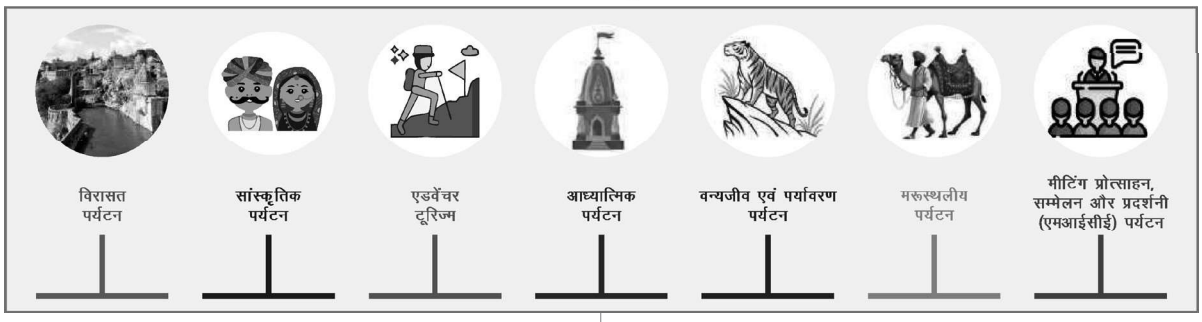

☑ विरासत (Heritage) पर्यटन एवं यूनेस्को धरोहर

- राजस्थान ने अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपदा को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया है। राज्य में वर्तमान में **9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** हैं, जो अपनी वैश्विक पहचान बनाए हुए हैं:
  - **किले:** चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, रणथम्भौर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन का किला।
  - **वेधशाला:** जंतर-मंतर, जयपुर।
  - **संरक्षित शहर:** जयपुर की चारदीवारी (Walled City)।
  - **राष्ट्रीय उद्यान:** केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर।

राजस्थान में 9 यूनेस्को धरोहर स्थल

☑ सांस्कृतिक पर्यटन:

- राजस्थान अपने मेलों और त्योहारों जैसे **तीज, पुष्कर ऊँट मेला** और **जयपुर साहित्य महोत्सव** के लिए प्रसिद्ध है। **घूमर** और **कालबेलिया** जैसे लोक नृत्य यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग हैं।

☑ एडवेंचर टूरिज्म:

- जयपुर और पुष्कर में **हॉट एयर बैलून** की सवारी तथा जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में **रेगिस्तानी रोमांच** (कैंपिंग, ऊँट सफारी) प्रमुख आकर्षण हैं। उदयपुर, घनेराव और कुंभलगढ़ क्षेत्र **ट्रेकिंग** के लिए प्रसिद्ध हैं।

आध्यात्मिक, वन्यजीव एवं मरुस्थल पर्यटन

☑ आध्यात्मिक पर्यटन:

- राज्य में **नाथद्वारा, खाटू श्याम, सालासर** और **मेहंदीपुर** जैसे तीर्थ स्थल प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

☑ वन्यजीव एवं ईको-टूरिज्म:

- राज्य में **3 राष्ट्रीय उद्यान** (रणथम्भौर, मुकुंदरा और केवलादेव) और **26 वन्यजीव अभयारण्य** (जैसे माउंट आबू, सीता माता, कुम्भलगढ़ आदि) स्थित हैं।

☑ मरुस्थल पर्यटन:

- इसमें **डेजर्ट नेशनल पार्क** मुख्य है। सफारी के अलावा अब **पैरामोटरिंग, एटीवी राइड्स** और **स्काईडाइविंग** जैसे नए साहसिक विकल्प भी शुरू किए गए हैं।

☑ एम.आई.सी.ई. (MICE) पर्यटन

- **महत्व:** सम्मेलन और प्रदर्शनियों के लिए राजस्थान एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है।
- **प्रमुख केन्द्र:** जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और नीमराना शादियों और बड़े सम्मेलनों के मुख्य केन्द्र हैं।
- **नई पहल:** दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर के विद्याधर नगर में **'राजस्थान मंडपम'** के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गई है।

राज्य में घरेलू पर्यटक यात्राएँ (Domestic Tourist Visits)

राजस्थान में घरेलू पर्यटकों के आगमन के रुझान निम्नलिखित हैं–

- **कोविड-19 का प्रभाव:** महामारी के कारण वर्ष 2020 में घरेलू पर्यटन में **71.05 प्रतिशत** की तीव्र गिरावट दर्ज की गई थी।
- **सुधार और वृद्धि:** वर्ष 2022 में इस क्षेत्र में मजबूत सुधार हुआ और **392.65 प्रतिशत** की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- **वर्ष 2024-25 के आँकड़े:** वर्ष 2024 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या **2,300.84 लाख** रही, जो वर्ष 2025 में बढ़कर **2,525.03 लाख** तक पहुँच गई।

राजस्थान में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या

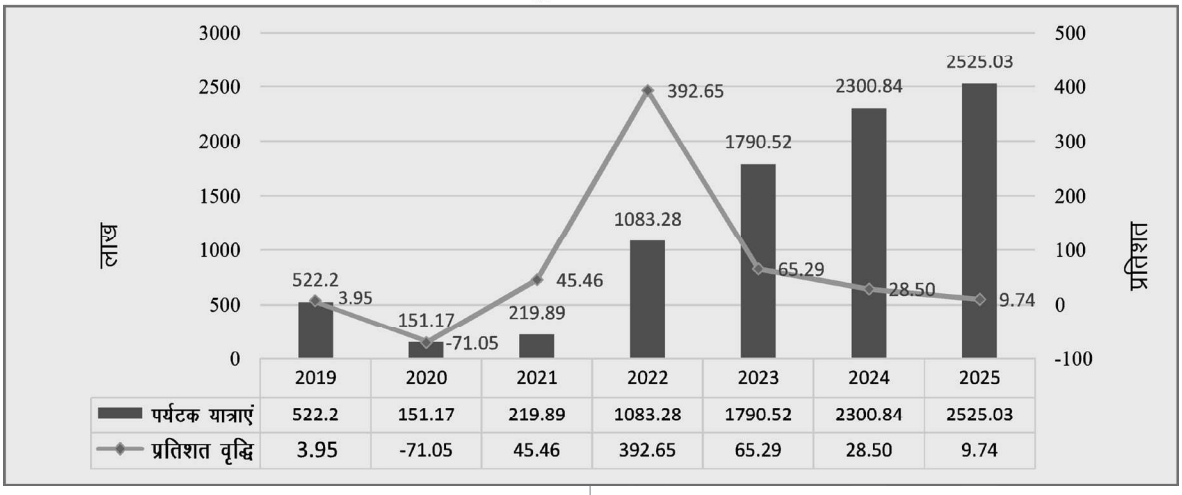

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
पर्यटक यात्राएं	522.2	151.17	219.89	1083.28	1790.52	2300.84	2525.03
प्रतिशत वृद्धि	3.95	-71.05	45.46	392.65	65.29	28.50	9.74

धार्मिक पर्यटन स्थलों पर घरेलू यात्राएँ

वर्ष 2025 में राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों का आगमन इस प्रकार रहा:

- **शीर्ष धार्मिक स्थल: खाटू श्याम जी, सीकर** राज्य का सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बना रहा, जहाँ 2025 में **258.00 लाख** घरेलू पर्यटकों ने यात्रा की।
- **सर्वाधिक वृद्धि:** डीग जिले में स्थित **पूंछरी का लौठा** में पर्यटकों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहाँ 2025 में **147.12 लाख** पर्यटक आए (पिछले वर्ष की तुलना में 51.61 लाख की बढ़ोतरी)।
- **अन्य प्रमुख स्थल (लाख में):**
  - पुष्कर, अजमेर: 132.46
  - सांवलियाजी सेठ, चित्तौड़गढ़: 119.40
  - दरगाह शरीफ, अजमेर: 84.61
  - रामदेवरा, जैसलमेर: 72.33
  - कैला देवी मंदिर, करौली: 65.34

ऐतिहासिक एवं हेरिटेज पर्यटक स्थलों पर यात्राएँ

राजस्थान में ऐतिहासिक किलों और महलों के प्रति पर्यटकों का आकर्षण बना हुआ है:

- **प्रमुख स्थल:** वर्ष 2024 और 2025 में **जैसलमेर किला** राज्य का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक एवं विरासत पर्यटन स्थल रहा।
  - वर्ष 2025 में यहाँ **41.92 लाख** घरेलू पर्यटकों ने यात्रा की।
- **वर्ष 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि:**
  - **चित्तौड़गढ़ किला:** यहाँ पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में **4.54 लाख** की वृद्धि दर्ज की गई।
  - **हवा-महल, जयपुर:** पर्यटकों की संख्या में **3.57 लाख** की बढ़ोतरी हुई।
- **शीर्ष 5 ऐतिहासिक स्थल (2025 में पर्यटक यात्राएँ-लाख में):**
  - जैसलमेर किला, जैसलमेर: 41.92
  - हवा महल, जयपुर: 18.24
  - आमेर किला, जयपुर: 18.15
  - सिटी पैलेस, उदयपुर: 15.23
  - चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़: 13.44

राज्य में विदेशी पर्यटक यात्राएँ (Foreign Tourist Visits)

विदेशी पर्यटकों के आगमन का रुझान निम्नलिखित है:

- **वृद्धि की प्रवृत्ति:** वर्ष 2021 के बाद विदेशी पर्यटक यात्राओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, हालांकि यह घरेलू पर्यटन की तुलना में धीमी रही है।
- **वर्षवार आँकड़े:** वर्ष 2021 से 2024 तक विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन वर्ष 2025 में इसमें मामूली गिरावट आई।
- **प्रमुख आँकड़े (लाख में):**
  - वर्ष 2019: 16.06
  - वर्ष 2021 (कोविड काल): 0.35
  - वर्ष 2024: 20.72
  - वर्ष 2025: 19.45

अध्याय - 7 आधारभूत अवसंरचना : विकास की आधारशिला

विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, आधारभूत अवसंरचना को आर्थिक विकास और प्रभावी सेवा प्रदायगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।

अवसंरचना के प्रमुख स्तंभ और भूमिका

- **प्रमुख क्षेत्र:** इसमें विद्युत, परिवहन, जल आपूर्ति, शहरी सेवाएँ, डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को शामिल किया गया है।

- **आर्थिक प्रभाव:** ये प्रणालियाँ उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि करती हैं, बाज़ार तक पहुँच आसान बनाती हैं और बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं।
- **समान अवसर:** इनका उद्देश्य आर्थिक क्षमता को मजबूत करना और विकास के अवसरों तक सभी की समान पहुँच सुनिश्चित करना है।

रणनीतिक दृष्टिकोण एवं आधुनिकीकरण

- **एकीकृत योजना:** परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण और नेटवर्क विस्तार के माध्यम से सेवा प्रदायगी के अंतराल को कम करने पर ज़ोर दिया गया है।
- **बहु-क्षेत्रीय प्रयास:** अवसंरचनात्मक विकास को विनिर्माण, कृषि, व्यापार और सेवा क्षेत्रों को सहयोग देने वाले एक समन्वित प्रयास के रूप में देखा गया है।

निवेश और क्षेत्रीय एकीकरण

- **परस्पर पूरक प्रणालियाँ:** विद्युत, सड़क और परिवहन को आधारभूत अवसंरचना के प्रमुख स्तंभ माना गया है, जो एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं।
- **असमानताओं में कमी:** परिवहन कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म में निवेश का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और सेवा पहुँच को मजबूत बनाना है।

ऊर्जा-आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण

विद्युत क्षेत्र को राजस्थान के आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन माना गया है:

- **महत्व:** यह क्षेत्र कृषि, उद्योग और सेवाओं को आधार प्रदान कर जीवन स्तर में सुधार करता है।
- **पहुँच:** एक बहु-आयामी विद्युत नेटवर्क ग्रामीण और औद्योगिक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहे।
- **सुधार:** वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने और बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

ऊर्जा की अधिष्ठापित (Installed) क्षमता

राजस्थान ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो राज्य के औद्योगिकीकरण और जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक है:

- **क्षमता में वृद्धि:** राज्य की अधिष्ठापित क्षमता मार्च 2025 तक **27,283.83 मेगावाट** थी, जो दिसम्बर 2025 तक बढ़कर **31,556.43 मेगावाट** हो गई है।
- **उत्पादन के स्रोत:** राज्य में ऊर्जा का उत्पादन तापीय (Thermal), जलविद्युत (Hydel), गैस आधारित और नवीकरणीय स्रोतों (पवन, सौर एवं बायोमास) से किया जाता है।
- **वृद्धि दर:** वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कुल अधिष्ठापित क्षमता **5.55 प्रतिशत** की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (**CAGR**) से बढ़ी है।

ऊर्जा स्रोतों का विवरण

- **तापीय ऊर्जा (Thermal Power):** यह राज्य में ऊर्जा का प्रमुख और स्थिर स्रोत है। दिसम्बर 2025 तक राज्य सरकार की परियोजनाओं से स्थापित तापीय क्षमता **7,830 मेगावाट** है।
- **सौर ऊर्जा (Solar Power):** राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का **अग्रणी राज्य** है। दिसम्बर 2025 तक राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता **9,898 मेगावाट** तक पहुँच गई है।
- **पवन ऊर्जा (Wind Power):** जैसलमेर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में अनुकूल परिस्थितियों के कारण पवन ऊर्जा का दोहन किया जा रहा है। दिसम्बर 2025 तक राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता **4,416.12 मेगावाट** हो चुकी है।

- **संयुक्त हिस्सेदारी:** कुल अधिष्ठापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा की कुल हिस्सेदारी **45.36 प्रतिशत** है।

भविष्य के लक्ष्य और नई पहलें

- **लक्ष्य 2030:** राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2030 तक सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में भारी बढ़ोतरी करने का संकल्प लिया है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन:** राजस्थान अब **ग्रीन हाइड्रोजन** उत्पादन जैसे नए और आधुनिक क्षेत्रों की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिससे राज्य का ऊर्जा परिदृश्य और अधिक रूपांतरित होगा।
- **आर्थिक लाभ:** बढ़ती ऊर्जा क्षमता से निजी निवेश आकर्षित हो रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता

दिसम्बर, 2025 तक राज्य की कुल विद्युत क्षमता का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता **(मेगावाट)**

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसम्बर तक)
1. राज्य की स्वयं/भागीदारी की परियोजनाएं						
(अ)	तापीय	7830.00	7830.00	7830.00	7830.00	7830.00
(ब)	जल विद्युत	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29
(स)	गैस	603.50	603.50	600.50	600.50	600.50
	योग (1)	**9450.79**	**9450.79**	**9447.79**	**9447.79**	**9447.79**
2. केन्द्री परियोजनाओं से राज्य को आवंटन						
(अ)	तापीय	1947.41	1916.37	1916.37	2056.95	2197.47
(ब)	जल विद्युत	740.66	740.66	740.66	740.66	851.86
(स)	गैस*	221.10	*0	0	0	0
(द)	परमाणु	456.74	456.74	456.74	456.74	806.74
	योग (2)	**3365.91**	**3113.77**	**3113.77**	**3254.35**	**3856.07**
3. आरआरईसी, आरएसएमएमएल एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा/बायोमास/सौर ऊर्जा परियोजनाएं						
(अ)	पवन	3734.10	3730.35	4359.63	4416.12	4416.12
(ब)	बायोमास	101.95	109.95	109.95	166.65	196.45
(स)	सौर ऊर्जा (कुसुम पीपीए सहित)	3057.60	3362.10	4010.50	6256.92	9898.00
(द)	तापीय/जल विद्युत	3742.00	3742.00	3742.00	3742.00	3742.00
	योग (3)	**10635.65**	**10944.40**	**12222.08**	**14581.69**	**18252.57**
	योग (1+2+3)	**23452.35**	**23508.96**	**24783.64**	**27283.83**	**31556.43**

*22 मार्च, 2021 को जारी विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देश के मद्देनजर उच्च क्रय लागत के कारण एनटीपीसी से 221 मेगावाट गैस विद्युत का आवंटन वापस कर दिया गया था।

प्रसारण तंत्र प्रणाली

राज्य में प्रसारण नेटवर्क पीपीपी सहित

राजस्थान में विद्युत संचारण लाइनों के विस्तार का विवरण दिसम्बर, 2025 तक इस प्रकार है:

- **765 केवी लाइन:** 425.498 सर्किट किमी।
- **400 केवी लाइन:** मार्च 2025 के 7,914.408 से बढ़कर **8,416.708 सर्किट किमी** हो गई है।
- **220 केवी लाइन:** कुल **16,428.958 सर्किट किमी**।
- **132 केवी लाइन:** कुल **20,662.151 सर्किट किमी**।

अध्याय - 8 जल सुरक्षा एवं अनुकूलता

मुख्य भौगोलिक और संसाधन संबंधी तथ्य

- **क्षेत्रफल बनाम जल:** भारत के कुल भू-भाग का **10.41%** हिस्सा होने के बाद भी राजस्थान के पास देश के कुल जल संसाधनों का केवल **1.16%** ही उपलब्ध है।
- **निरंतर चुनौतियाँ:** अनियमित वर्षा, गिरते भू-जल स्तर और बढ़ते बंजर भूमि क्षेत्र राज्य के लिए प्रमुख बाधाएँ हैं।
- **जल का महत्व:** जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि कृषि उत्पादकता, आजीविका और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता का मुख्य आधार है।

विजन 2047: एकीकृत दृष्टिकोण

विजन 2047 के अनुसार, राज्य ने जल प्रबंधन के लिए एक समग्र और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाया है। इस रणनीति के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं:

- **प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:** सतही जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी नहर, संशोधित **PKC-ERCP लिंक**, नर्मदा नहर और विभिन्न लघु/मध्यम सिंचाई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
- **कृषि और दक्षता:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY 2.0) के माध्यम से **'हर खेत को पानी'** और **'प्रति बूँद अधिक फसल'** के लक्ष्य पर जोर दिया जा रहा है।
- **भू-जल और जन-भागीदारी: अटल भू-जल योजना**, **मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0**, 'कर्मभूमि से मातृभूमि' और 'वंदे गंगा जल संरक्षण' जैसे अभियानों के जरिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **पेयजल सुरक्षा: AMRUT 2.0** और **जल जीवन मिशन** के तहत हर घर तक विश्वसनीय नल कनेक्शन पहुँचाने का लक्ष्य है।

विजन स्टेटमेंट: विकसित राजस्थान @2047

- 'वर्ष 2047 तक, राजस्थान मजबूत शासन, सतत संरक्षण और न्यायसंगत उपयोग के माध्यम से पूर्ण जल सुरक्षा हासिल करेगा। राज्य अपनी उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कृषि, समुदायों और पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाएगा।'

जल-सुरक्षित राजस्थान की ओर: प्रमुख रणनीति

- राजस्थान 343 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमित संसाधनों के समेकित प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है।

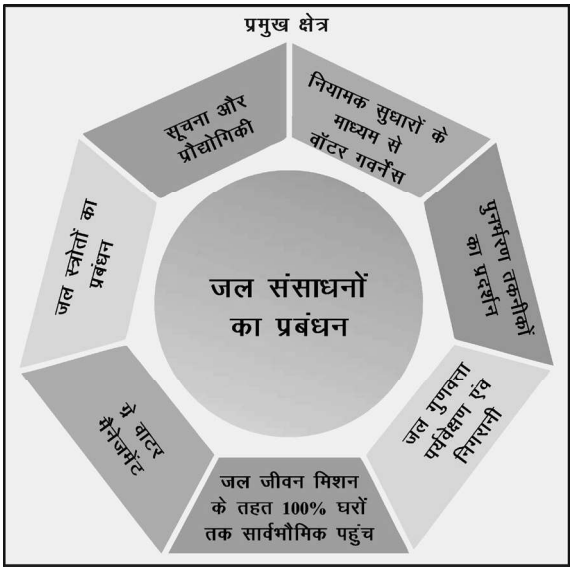

☑ वर्तमान चुनौतियाँ और आवश्यकता

- **बंजर भूमि:** राज्य के कुल क्षेत्रफल में से लगभग 101 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बंजर भूमि है।
- **वर्षा का स्वरूप:** कम वर्षा वाले दिनों और बिखरे हुए वर्षा पैटर्न के कारण वर्षा जल का बड़ा हिस्सा व्यर्थ बह जाता है।
- **भू-जल संकट:** गिरते भू-जल स्तर के कारण उपजाऊ भूमि धीरे-धीरे अनुपयोगी होती जा रही है।

सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति (वर्ष 2025-26)

राज्य में सिंचाई मुख्य रूप से नहरों, ट्यूबवेल, खुले कुओं और तालाबों से होती है। वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है:

परियोजना प्रकार	संख्या	प्रमुख उदाहरण
वृहद (Large) परियोजनाएँ	6	नर्मदा नहर, परवन, धौलपुर लिफ्ट, माही व पीपलखूँट उच्च स्तरीय नहर, कालीतीर लिफ्ट
मध्यम (Medium) परियोजनाएँ	5	गरड़दा, तकली, गागरिन, हथियादेह, अंधेरी
लघु (Small) सिंचाई योजनाएँ	34	विभिन्न स्थानीय योजनाएँ

- **कुल उपलब्धि:** इन परियोजनाओं के माध्यम से अब तक **40.19 लाख हेक्टेयर** का कुल सिंचाई क्षेत्र सृजित और विस्तारित किया जा चुका है।

- इसके अतिरिक्त, राज्य जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLIP) और अटल भू-जल योजना जैसी पहलें बुनियादी ढाँचे को मजबूत कर रही हैं।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ एवं प्रगति (2025-26)

वर्ष 2025-26 में सिंचाई क्षमता विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान और भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

- **अतिरिक्त सिंचाई क्षमता:** माह दिसम्बर 2025 तक **23,320 हेक्टेयर** अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है।
- **बजटीय प्रावधान:** इस वित्तीय वर्ष के लिए **₹ 6,028.74 करोड़** का बजट प्रावधान (IGNP को छोड़कर) किया गया है।
- **वित्तीय व्यय:** दिसम्बर तक ₹ 2,765.05 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

नर्मदा नहर परियोजना

- **विशेषता:** यह भारत की पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसमें **जालौर और बाड़मेर** जिलों के 233 गाँवों में फैले **2.46 लाख हेक्टेयर** के सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र में **स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली** अनिवार्य की गई है।
- **लाभ:** यह परियोजना लगभग 37.48 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी, जिसमें 1,541 गाँव (जालौर जिले में 874 और बाड़मेर जिले में 667) और 3 शहर यथा जालौर, भीनमाल और सांचौर तथा कमाण्ड क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं।
- **लागत:** संशोधित लागत ₹ 3,124 करोड़ है, जिसमें से अब तक कुल **₹ 3,280.82 करोड़** खर्च हो चुके हैं।

परवन वृहद परियोजना

- **स्थान:** झालावाड़ जिले में परवन नदी पर प्रस्तावित।
- **विस्तार:** झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 571 गाँवों में **2.01 लाख हेक्टेयर** क्षेत्र में सिंचाई और 1,402 गाँवों में पेयजल सुविधा।
- **तकनीक:** यहाँ सिंचाई के लिए **स्काडा (SCADA)** नियंत्रित प्रेशराइज़्ड पाइप और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग होगा।
- **ऊर्जा:** विद्युत आपूर्ति हेतु **सोलर पॉवर प्लांट** प्रस्तावित है।
  - **व्यय:** कुल ₹ 7,355.23 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध दिसम्बर तक **₹ 6,229.72 करोड़** व्यय हुए हैं।

ऊपरी उच्च स्तर नहर (माही) परियोजना

- **सिंचाई तकनीक:** माइक्रो इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से सिंचाई प्रदान की जाएगी।
  - इसमें लगभग 105 किमी. मुख्य नहर व वितरण प्रणाली द्वारा सैडल बाँध संख्या-1 से पानी दिया जाएगा।
- **क्षेत्र:** राजस्थान के बाँसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदौरा के 338 गाँवों के **41,903 हेक्टेयर** क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
- **लागत:** परियोजना की कुल लागत **₹ 2,500 करोड़** है, जिसका निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है।

पीपलखूंट उच्च स्तर नहर परियोजना:

- इस परियोजना के माध्यम से पीपलखूंट तहसील के 24 गाँवों के **5,127 हेक्टेयर** असिंचित क्षेत्र में **स्प्रिंकलर प्रणाली** से सिंचाई दी जाएगी।
  - माही बाँध से **3.72 TMC** जल जाखम बाँध में मोड़ा जाएगा।
  - परियोजना की कुल लागत **₹ 2,000 करोड़** है, जिसमें से अब तक कुल **₹ 1,189.25 करोड़** व्यय किए जा चुके हैं।

धौलपुर लिफ्ट परियोजना:

यह 39,980 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) और पेयजल की संयुक्त परियोजना है।

- बिजली की आवश्यकता पूरी करने हेतु **30 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट** स्थापित किया जाएगा।
- इस परियोजना के **जून 2026** तक पूर्ण होने की संभावना है।

कालीतीर लिफ्ट परियोजना:

- यह मुख्य रूप से धौलपुर जिले के 483 गाँवों और 3 शहरों (बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा) की पेयजल माँग को पूरा करेगी।
  - इसके लिए पार्वती व रामसागर बाँध से पानी प्राप्त किया जाएगा।
- चंबल नदी से मानसून के दौरान प्रतिवर्ष **98.60 मिलियन घन मीटर** पानी लिया जाएगा।

मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ

- राज्य में वर्तमान में 5 प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है:
  1. **अंधेरी** सिंचाई परियोजना
  2. **गरड़दा** सिंचाई परियोजना
  3. **हथियादेह** सिंचाई परियोजना
  4. **तकली** सिंचाई परियोजना
  5. **गागरिन** सिंचाई परियोजना

गरड़दा सिंचाई परियोजना (बूँदी):

- **अवस्थिति:** बूँदी जिले के **होलासपुरा** गाँव में **मंगली डूंगरी नदी** और गणेश नाले पर निर्माणाधीन है।
- **लाभ :** बूँदी जिले के 44 गाँवों की **9,161 हेक्टेयर** भूमि को सिंचाई और 111 गाँवों व 98 बस्तियों को पेयजल की सुविधा मिलेगी।
- **भंडारण क्षमता: 4.37 किलोमीटर लंबाई** के इस बाँध की कुल भंडारण क्षमता 44.38 मिलियन घन मीटर है, जिसमें से 8 मिलियन घन मीटर पेयजल के लिए आरक्षित है।

अध्याय - 9 पर्यावरण स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता

- प्रकृति के संरक्षण के साथ दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता को राज्य की रणनीति में प्राथमिकता दी गई है।

मुख्य अवधारणाएँ

- **पर्यावरणीय स्थिरता:** भावी पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उत्तरदायी उपयोग, प्रदूषण में कमी और चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्क्युलर इकोनोमी) को बढ़ावा देना शामिल है।
- **जलवायु अनुकूलता:** लू, बाढ़, सूखा और चरम मौसमी घटनाओं जैसे जलवायु जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने, उन्हें सहन करने और उनसे उबरने की प्रणालियों की क्षमता।
- **SDGs का मार्गदर्शन:** सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) फ्रेमवर्क अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण के माध्यम से निम्न कार्बन विकास के पथ को प्रोत्साहित करता है।

विजन स्टेटमेंट: विकसित राजस्थान @ 2047

- **वर्ष 2047 तक** राजस्थान को पर्यावरणीय अनुकूलता और सतत् विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य है। इसके मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं:
  - **पारिस्थितिक संरक्षण:** आर्थिक प्रगति और संरक्षण के बीच संतुलन।
  - **सशक्त प्रोत्साहन:** वन संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल एवं जैव विविधता का संरक्षण।
  - **सुरक्षित भविष्य:** एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित हो सके।

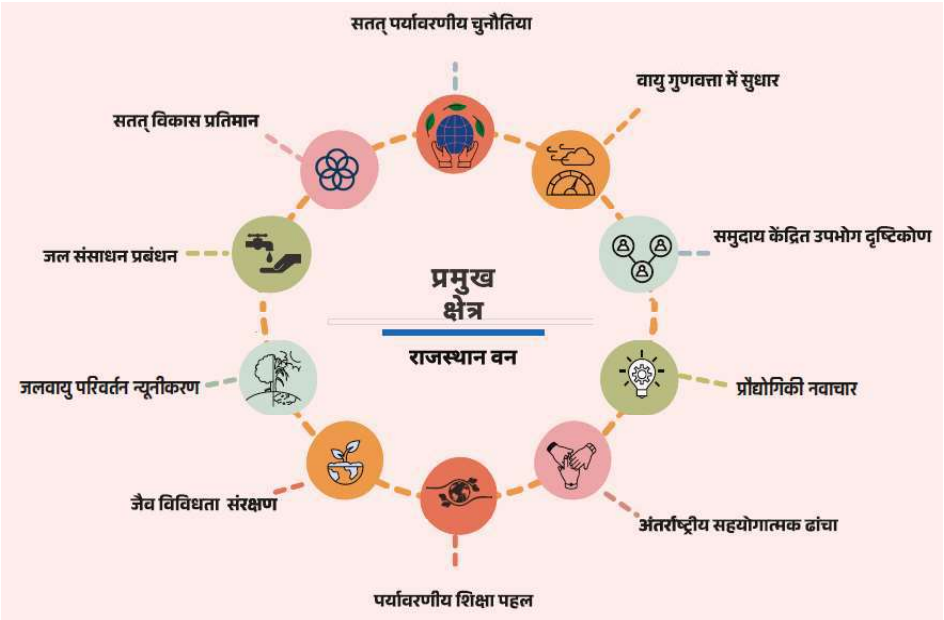

प्रभावी पर्यावरणीय स्थिरता एवं जलवायु अनुकूलता के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय (evidence-based governance), सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी नवाचार को आधार बनाया गया है।

राजस्थान की भौगोलिक संवेदनशीलता

- **विविध पारिस्थितिकी:** थार रेगिस्तान, अरावली पहाड़ियाँ और उपजाऊ नदी घाटियों के कारण राज्य की भौगोलिक संरचना अनूठी है।
- **निर्भरता:** राज्य की कृषि, पशुपालन और पर्यटन पर निर्भरता दीर्घकालीन विकास के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता को महत्वपूर्ण बनाती है।
- **जलवायु जोखिम:** बढ़ता तापमान, गिरता भू-जल स्तर, अनियमित मानसून, धूल भरी आंधियाँ और हीटवेव आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियाँ हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता की मुख्य विशेषताएँ

नीतिगत प्रगति और संस्थागत ढाँचा

- **SDG प्रदर्शन:** सतत् विकास लक्ष्यों के फ्रेमवर्क के तहत राजस्थान ने पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- **प्रमुख नीतियाँ:** राज्य ने '**राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति**' और विभिन्न पर्यावरण प्रबंधन रणनीतियाँ जारी की हैं।

☆ **चुनौतियाँ:** इन प्रयासों के बावजूद, कम वनावरण, गंभीर जल संकट और शहरी प्रदूषण जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनके लिए सतत् प्रयासों की आवश्यकता है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र

राज्य में पर्यावरणीय मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 'पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग' नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

वन क्षेत्र के आँकड़े और वर्गीकरण

- राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों की स्थिति इस प्रकार है:
  - **अभिलिखित वन क्षेत्र:** राज्य में कुल 33,020.32 वर्ग किमी वन क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र का **9.65 प्रतिशत** है।
  - **वनों का वर्गीकरण:**
    - **आरक्षित वन (Reserved):** 36.94%।
    - **संरक्षित वन (Protected):** 56.54%।
    - **अवर्गीकृत वन (Unclassified):** 6.51%।
  - **कुल हरित आवरण:** इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट-2023 के अनुसार, वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर कुल 27,389.33 वर्ग किमी (राज्य का 8%) है।

जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र

- वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राज्य में एक विस्तृत नेटवर्क मौजूद है:
  - **राष्ट्रीय उद्यान:** 3
  - **वन्यजीव अभयारण्य:** 26
  - **टाइगर रिजर्व:** 5
  - **कन्जर्वेशन रिजर्व:** 39
  - **जैविक उद्यान (Biological Parks):** उदयपुर, कोटा, जयपुर और जोधपुर में 4 उद्यान विकसित किए गए हैं।
  - **संरक्षण/बचाव कार्य :** राज्य में 15 स्थलों पर दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं लुप्तप्राय वानस्पतिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु बचाव कार्य किए जा रहे हैं।

अध्याय - 10 ग्रामीण विकास

राजस्थान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण विकास एक प्रमुख स्तंभ है, क्योंकि राज्य की एक बड़ी आबादी कृषि और ग्रामीण आजीविका पर निर्भर है।

ग्रामीण विकास का महत्व एवं दृष्टिकोण

- **समेकित दृष्टिकोण:** यह केवल आय सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आधारभूत संरचना, आजीविका सुरक्षा, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल हैं।
- **संस्थागत ढाँचा:** ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए **नोडल एजेंसी** है।
- **विकेन्द्रीकृत शासन:** पंचायती राज संस्थाएँ सहभागी योजना और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन में केन्द्रीय भूमिका निभाती हैं।
- **वित्तीय सशक्तिकरण:** वित्त आयोग के अनुदानों और पंचायत विकास योजनाओं ने स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाया है।

विकसित राजस्थान@2047: विजन स्टेटमेंट

- वर्ष 2047 तक राज्य का लक्ष्य एक जीवंत और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के माध्यम से **'ग्राम स्वराज'** के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:
  - ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण।
  - समावेशी और सुलभ बुनियादी ढाँचे का निर्माण।
  - आजीविका सुरक्षा और आय में वृद्धि।
  - जल सुरक्षा और सुरक्षित पर्यावरणीय स्वच्छता सेवाएँ।

समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का सतत् विकास, समुदायों का सशक्तिकरण और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका-RGAVP)

'राजीविका' राज्य में ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली प्रमुख स्वायत्त संस्था है।

- **स्थापना:** इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई।
- **पंजीकरण:** यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है।
- **आधार:** यह स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित संस्थानिक अवधारणा पर कार्य करती है।
- **मुख्य उद्देश्य:** ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय आधार तैयार करना, घरेलू आय में वृद्धि करना और लोक सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाना।
- **पहचान प्रक्रिया:** परिवारों का चयन सहभागिता पहचान प्रक्रिया और सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) सर्वे के माध्यम से किया जाता है।

☑ प्रमुख उपलब्धियाँ (दिसम्बर 2025 तक)

- राजीविका ने राज्य में व्यापक संस्थानिक नेटवर्क तैयार किया है:
  - **संस्थानिक ढाँचा:** 51.01 लाख गरीब परिवारों को 4.29 लाख स्वयं सहायता समूहों, 32,061 ग्राम संगठनों और 1,078 क्लस्टर स्तरीय संघों में संगठित किया गया है।
  - **रिवॉल्विंग फण्ड:** 3,18,833 स्वयं सहायता समूहों को ₹ 501.19 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।

- **बैंक लिंकेजः** 3,42,127 समूहों ने बैंक बचत खाते खोले हैं और बैंकों के माध्यम से ₹ 10,788.96 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है।
- **सामुदायिक निवेश निधिः** 2,09,813 समूहों को ₹ 1,614.83 करोड़ की आजीविका सहायता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

यह मिशन वर्तमान में सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है।

- **वित्तीय प्रावधान (2025-26):** वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 678.35 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें से दिसम्बर 2025 तक ₹ 337.55 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।
- **सहभागिताः** इस मिशन में भारत सरकार का योगदान **60 प्रतिशत** और राज्य सरकार का योगदान **40 प्रतिशत** है।
- **प्रमुख गतिविधियाँः** इसमें संस्था निर्माण, क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन, आजीविका हस्तक्षेप और योजनाओं का अभिसरण (Convergence) शामिल हैं।

☑ आजीविका और वित्तीय सहायता (दिसम्बर 2025 तक)

- **संस्थानिक नेटवर्कः** 38,452 गाँवों में 4.29 लाख स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाए गए हैं, जिनसे 51.01 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
- **वित्तीय समावेशनः** आजीविका संवर्धन हेतु ₹ 2,116.03 करोड़ आवंटित किए गए हैं और ₹ 10,788.96 करोड़ के बैंक ऋण प्रदान किए गए हैं।
- **राजस्थान महिला कोषः** 1,54,861 महिलाओं को 2.5% वार्षिक ब्याज दर पर ₹ 735 करोड़ के ऋण दिए गए हैं।

☑ विशिष्ट आजीविका परियोजनाएँ

- **उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीः** राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के तकनीकी सहयोग से कोटा, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर और बूँदी में ₹ 41.89 करोड़ की लागत से स्थापना की गई है, जिससे 30,033 परिवार लाभान्वित हुए हैं।
- **हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनीः** इसके द्वारा कोटा और बारां में सोयाबीन, सरसों और धनिया की मूल्य श्रृंखला हेतु ₹ 17.39 करोड़ का निवेश किया गया है।
- **कृषि एवं पशुपालनः** इस क्षेत्र में 36.03 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं और 3,237 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है।

प्रमुख तकनीकी एवं सशक्तिकरण पहलें

महिलाओं को आधुनिक तकनीक और आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम संचालित हैंः

पहल का नाम	मुख्य विशेषताएँ एवं प्रगति (दिसम्बर 2025 तक)
नमो ड्रोन दीदी	कृषि ड्रोन की खरीद पर अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान। राज्य के 30 जिलों के 46 ब्लॉकों में 50 ड्रोन वितरित किए गए हैं, जिन्होंने 12,500 एकड़ भूमि पर कार्य किया है।
सोलर दीदी	वर्ष 2025-26 के लिए 25,000 सोलर दीदियों की पहचान का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।
लखपति दीदी	संभावित 19.90 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से 12.98 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' की श्रेणी में शामिल किया गया है।
बैंक सखी	7,104 डिजिटल सखी और 6,053 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) सखी कार्यरत हैं। इन्होंने वर्ष 2025-26 में ₹ 671.07 करोड़ का लेन-देन किया है।
कृषि एवं पशु सखी	वर्तमान में 37,369 स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य **'पशु सखी'** के रूप में और 36,787 सदस्य **'कृषि सखी'** के रूप में कार्यरत हैं।

- **वन धन विकास केन्द्रः** राज्य के 8 जिलों (बाराँ, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा और उदयपुर) में 517 केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे 1.50 लाख महिला सदस्य लाभान्वित हुई हैं।
- **उद्यमिता संवर्धनः** सिलाई, ब्यूटी पार्लर और मसाला उद्योग जैसे क्षेत्रों में 54,879 से अधिक महिला उद्यम स्थापित किए गए हैं।
- **विपणन सहायताः**
  - विभिन्न जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर 254 कैंटीन महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं।
  - स्वयं सहायता समूहों की बिक्री बढ़ाने हेतु जयपुर, चूरू (2), श्रीगंगानगर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, डूँगरपुर, जोधपुर, राजसमंद और कोटा में 11 रिटेल स्टोर खोले गए हैं।
  - **उड़ान योजनाः** सभी जिलों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित हैं और दिसम्बर 2025 तक कुल 63 लाख सेनेटरी पैड वितरित किए जा चुके हैं।
  - **राज सखी मोबाइल एपः** सखी संवर्गों को समय पर मानदेय भुगतान और निगरानी के लिए यह एप लॉन्च किया गया है।

राजीविका की वर्ष 2025-26 की उपलब्धियाँ (दिसम्बर तक)

(संख्या में)

गतिविधियाँ	लक्ष्य (2025-26)	प्रगति (दिसम्बर तक)	संचयी प्रगति
स्वयं सहायता समूह गठन	40,000	16,952	4,29,525
कवर किए गए परिवार	4,00,000	2,07,135	51,01,109
ग्राम संगठनों की संख्या	380	593	32,061
रिवॉल्विंग फंड प्राप्त SHG	40,000	12,253	3,18,833
सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त SHG	30,000	23,754	2,09,813

अध्याय - 11 शहरी विकास

शहरी विकास: एक परिचय

शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करती है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवनशैली की तलाश में होता है। इसके परिणामस्वरूप समाज धीरे-धीरे कृषि प्रधान से औद्योगिक और शहरी समाज में परिवर्तित हो जाता है।

वैश्विक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य

- **जनसंख्या का रुझान:** 'संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत् विकास रिपोर्ट 2023' के अनुसार, विश्व की आधी से अधिक आबादी वर्तमान में शहरों में रहती है। वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा **66.66 प्रतिशत** होने का अनुमान है।
- **जीडीपी में योगदान:** शहर वैश्विक अर्थव्यवस्था के इंजन हैं, जो विश्व की कुल जीडीपी में लगभग **80 प्रतिशत** का योगदान करते हैं।

राजस्थान में शहरी विकास की स्थिति (2025-26)

राजस्थान सरकार ने अपने शहरों और कस्बों में बुनियादी ढाँचे में सुधार और सतत् विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

- **सहयोग:**
  - शहरी विकास कार्यक्रमों के आधुनिक प्रयासों में **राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.)** और **एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी)** का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है।
- **मुख्य प्राथमिकताएँ:**
  - सरकार का ध्यान विशेष रूप से सीवरेज, जलापूर्ति, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे बुनियादी ढाँचे के विकास पर है।

विजन स्टेटमेंट: विकसित राजस्थान @2047

- राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक राजस्थान के शहरी क्षेत्रों के लिए एक दूरदर्शी लक्ष्य निर्धारित किया है:
- 'वर्ष 2047 तक, राजस्थान में किफायती आवास, स्मार्ट टाउनशिप और आवश्यक सुविधाओं से युक्त जीवंत, समावेशी और सतत् शहरी केन्द्रों का निर्माण करना।'
- **रणनीतिक दृष्टिकोण**
  - **5R दृष्टिकोण:** शहरी स्वच्छता में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए राज्य **Reduce (कम करना), Reuse (पुनः उपयोग), Recycle (पुनर्चक्रण), Recover (पुनर्प्राप्ति), और Remove (हटाना)** की नीति अपनाएगा।
  - **सांस्कृतिक संरक्षण:** अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए विकेन्द्रीकृत शहरी शासन को सशक्त बनाया जाएगा।
  - **पारिस्थितिक संतुलन:** नवीकरणीय ऊर्जा, हरित सार्वजनिक स्थलों और जलवायु अनुकूल अवसंरचना के माध्यम से विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन स्थापित किया जाएगा।

शहरी विकास के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

सतत शहरी विकास और जनसांख्यिकीय प्रबंधन

शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ (Urbanization Trends)

राजस्थान में शहरीकरण की प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर के समान ही देखी गई है:

- **राष्ट्रीय स्तर:** भारत की शहरी आबादी 1961 में 17.97 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.14 प्रतिशत हो गई। 2031 तक इसके 37.55 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है।
  - **वर्ष 2021 में अनुमानित शहरी हिस्सा** : 34.43%
- **राजस्थान स्तर:** राज्य में शहरी आबादी 1961 में 16.28 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 24.87 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2031 तक राजस्थान की शहरी आबादी का हिस्सा 27.74 प्रतिशत होने का अनुमान है।
  - **वर्ष 2021 में राज्य की शहरी आबादी** : 26.33%

जनसंख्या और अनुमान (Population Projections)

तालिका में राजस्थान की वर्तमान और अनुमानित जनसंख्या का तुलनात्मक विवरण दिया गया है:

श्रेणी	वर्ष 2011 (वास्तविक)	वर्ष 2031 (अनुमानित)
कुल जनसंख्या	685 लाख	872 लाख
शहरी जनसंख्या	170 लाख	242 लाख
पुरुष (शहरी)	89 लाख	126 लाख
महिलाएँ (शहरी)	81 लाख	116 लाख

बाल जनसंख्या (0-6 आयु वर्ग)

- वर्ष 2001 और 2011 के बीच राजस्थान में बच्चों की कुल जनसंख्या लगभग **106 लाख** पर स्थिर रही है।
- वर्ष 2011 में इस आयु वर्ग में **52.95 प्रतिशत लड़के** और **47.05 प्रतिशत लड़कियाँ** थीं।

लिंगानुपात (Sex Ratio)

- **शहरी क्षेत्रों में सुधार:** राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 2001 के 890 से बढ़कर 2011 में **914** (प्रति 1,000 पुरुष) हो गया है।
- **ग्रामीण बनाम शहरी:** ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात (933) शहरी क्षेत्रों (914) की तुलना में अधिक संतुलित है।

जिलेवार शहरी लिंगानुपात (जनगणना 2011)

उच्चतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले	लिंगानुपात	निम्नतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले	लिंगानुपात
टोंक	985	जैसलमेर	807
बाँसवाड़ा	964	धौलपुर	864
प्रतापगढ़	963	अलवर	872
डूँगरपुर	951	गंगानगर	878
राजसमंद	948	भरतपुर	887

बाल लिंगानुपात (0-6 आयु वर्ग)

- राजस्थान के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में गिरावट दर्ज की गई है।
  - **शहरी क्षेत्र:** बाल लिंगानुपात वर्ष 2001 के 887 से घटकर वर्ष 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर **874 लड़कियाँ** रह गया है।
  - **ग्रामीण क्षेत्र:** यह अनुपात 2001 के 914 से घटकर 2011 में **892** पर आ गया है।

जिलेवार शहरी बाल लिंगानुपात (जनगणना 2011)

उच्चतम बाल लिंगानुपात वाले जिले	लिंगानुपात	निम्नतम बाल लिंगानुपात वाले जिले	लिंगानुपात
नागौर	907	धौलपुर	841
बीकानेर	906	गंगानगर	842
भीलवाड़ा	904	दौसा	847
बारां	901	अलवर	851
चूरू	899	भरतपुर	852

साक्षरता दर (Literacy Rate)

राजस्थान सरकार की विभिन्न पहलों के कारण राज्य की साक्षरता दर में 1961 से 2011 तक निरंतर वृद्धि हुई है।

- **कुल साक्षरता:** वर्ष 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर **66.11 प्रतिशत** रही, जो 2001 में 60.40 प्रतिशत थी।
- **शहरी बनाम ग्रामीण:** वर्ष 2011 में शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर **79.70 प्रतिशत** दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह **61.40 प्रतिशत** रही।

सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले (2011)

क्र. सं.	सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले	प्रतिशत	न्यूनतम साक्षरता वाले जिले	प्रतिशत
1.	उदयपुर	87.5	नागौर	70.6
2.	बाँसवाड़ा	85.2	जालौर	71.1
3.	प्रतापगढ़	84.8	चूरू	72.6
4.	डूँगरपुर	84.4	धौलपुर	72.7
5.	अजमेर	83.9	करौली	72.8

☆ **विशेष नोट:** आँकड़ों से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर है, लेकिन बाल लिंगानुपात में गिरावट एक चिंता का विषय बना हुआ है।

अध्याय - 12 प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएँ

प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएँ

प्रभावी शासन और प्रौद्योगिकी-आधारित सेवा वितरण समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के आधारभूत स्तंभ हैं। राजस्थान सरकार ने विजन 2047 की प्राप्ति के लिए शासन प्रणालियों को सुदृढ़ करने और सेवा प्रदायगी तंत्र में सुधार हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है।

☑ प्रमुख तकनीकी पहल और डिजिटल प्लेटफॉर्म

राजस्थान के शासन सुधारों में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है:

- **SMART (स्मार्ट):** इसका अर्थ 'सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल-टाइम सिस्टम' है। इसका लक्ष्य लाभार्थियों की स्वतः पहचान और निर्बाध सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करना है।
- **जन आधार:** यह एक एकीकृत परिवार-आधारित डिजिटल पहचान प्रणाली है जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) को सशक्त बनाती है और महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है।
- **एकीकृत प्लेटफॉर्म:** आंतरिक राजकीय कार्यप्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए **राज-एसएसओ (RajSSO)**, **राज ई-वॉल्ट**, **राज-काज**, और **IFMS 3.0** जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जा रहा है।

☑ प्रभावी शासन का दृष्टिकोण

- **क्रियान्वयन और परिणाम:** प्रभावी शासन केवल अच्छी नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन और परिणाम सुनिश्चित करना है।
- **मूल सिद्धांत:** यह **'कोई भी पीछे न छूटे'** के सिद्धांत पर आधारित है, जो नागरिकों को समयबद्ध सेवा प्रदायगी और समावेशी विकास पर बल देता है।

राजस्थान में प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवा के तीन स्तंभ

विज़न स्टेटमेंट: विकसित राजस्थान@2047

- वर्ष 2047 तक राजस्थान कुशल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित शासन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने का लक्ष्य रखता है।
  - **तकनीकी अनुप्रयोग:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन और डेटा विश्लेषण का उपयोग कानून प्रवर्तन, न्यायिक दक्षता और भूमि प्रबंधन में किया जाएगा।
  - **सुरक्षा:** स्मार्ट पुलिसिंग और साइबर सुरक्षा के माध्यम से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

प्रमुख क्षेत्र

भविष्य–उन्मुख राजस्थान के लिए अवसंरचना विकास	कानून प्रवर्तन और सुरक्षा को बढ़ाना
डिजिटल शासन एवं जनसुलभता	प्रौद्योगिकी–संचालित पुलिसिंग एवं निगरानी
न्यायिक एवं विधिक प्रणाली आधुनिकीकरण	पुलिस प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
भूमि एवं संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता	सेवा नियमों में संशोधन एवं भर्ती सुधार
सतत् भूमि उपयोग एवं पर्यावरणीय मॉनिटरिंग	नागरिक–केंद्रित शासन

प्रभावी शासन के तीन स्तंभ

- राजस्थान में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए तीन मुख्य स्तंभों को चिह्नित किया गया है:
  - **स्तंभ 1:** सूचना प्रौद्योगिकी-समर्थित नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदायगी।
  - **स्तंभ 2:** प्रभावी वित्तीय प्रबंधन।
  - **स्तंभ 3:** पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र।

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदायगी

- **प्रतिबद्धता:** राज्य सरकार पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता के माध्यम से प्रभावी शासन को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है।
- **समान पहुँच:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु एक उन्नत प्लेटफॉर्म का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- **डिजिटल साक्षरता:** सरकार वंचित व्यक्तियों को सशक्त बनाने और डिजिटल साक्षरता के अंतर को कम करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

प्रमुख पहल

स्मार्ट (SMART) परियोजना

- **'स्मार्ट' का पूरा नाम:** सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल-टाइम सिस्टम।
- **तकनीक का उपयोग:** नागरिक सेवा प्रदायगी के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआई (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग किया जा रहा है।
- **मुख्य लक्ष्य:**
  - एआई/एमएल के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान करना।
  - उन्हें संबंधित योजनाओं में स्वचालित रूप से नामांकित करना।
  - मानवीय हस्तक्षेप को कम या समाप्त करते हुए लाभों का वितरण प्रारम्भ करना।

☑ स्मार्ट (SMART) के प्रमुख उद्देश्य

स्मार्ट परियोजना का लक्ष्य नागरिक सेवा प्रदायगी के वर्तमान तरीके को उन्नत बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- **स्वतः पहचान:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से लाभार्थियों की स्वचालित रूप से पहचान करना।
- **स्वतः सूचना:** पात्र योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी की सहमति के लिए स्वचालित रूप से सूचना भेजना।
- **स्वतः आवेदन:** लाभार्थी की सहमति प्राप्त होने के उपरांत पात्र योजनाओं में स्वतः आवेदन की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- **स्वतः अनुमोदन:** उपलब्ध डेटा के आधार पर सिस्टम द्वारा आधारित स्वचालित अनुमोदन प्रदान करना।
- **प्रदायगी की सूचना:** संबंधित विभाग द्वारा प्रदान किए गए लाभ या सेवाओं की सूचना लाभार्थी को स्वतः देना।
- **योजनाओं में सुधार:** वर्तमान योजनाओं के डेटा विश्लेषण और 'डेटा इनसाइट्स' के माध्यम से योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार करना।

☑ विभागीय डेटा सेट्स से लाभ प्राप्ति के चरण

नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुँचाने के लिए डेटा प्रणालियों का एकीकरण किया जा रहा है। इसके चार मुख्य चरण निर्धारित किए गए हैं:

- **डेटा लेक का निर्माण:** अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और एक केन्द्रीकृत डेटा भंडार (Centralized Data Repository) बनाना।
- **गोल्डन रिकॉर्ड निर्माण:** प्रत्येक नागरिक के लिए एक 'सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ' (Single Source of Truth) स्थापित करना।
- **360-डिग्री प्रोफाइल:** नागरिकों और परिवारों के लिए उनकी पात्रताओं, व्यय और आय का एक एकीकृत विवरण तैयार करना।
- **स्वचालित सेवा प्रदायगी:** बिना किसी औपचारिक आवेदन के पात्र लाभार्थियों की स्वतः पहचान कर उन्हें लाभ पहुँचाना।

राजस्थान जन आधार योजना: 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान'

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के नकद और गैर-नकद लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शिता से उपलब्ध कराना है।

☑ जन आधार योजना की प्रगति (दिसम्बर 2025 तक)

आँकड़ों के अनुसार, यह देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी है:

- **नामांकित परिवार:** 2.06 करोड़ परिवार नामांकित हैं।
- **नामांकित व्यक्ति:** 7.95 करोड़ व्यक्ति इस डेटाबेस से जुड़े हैं।
- **कुल लेनदेन:** 206 करोड़ से अधिक (नकद एवं गैर-नकद) लेनदेन हुए हैं।
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT):** ₹ 1.29 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है।
- **एकीकृत योजनाएँ:** जन आधार प्लेटफॉर्म पर 165 जन कल्याणकारी योजनाएँ और 34 सेवाएँ एकीकृत हैं।

अध्याय - 13 वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति

वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीतिः एक अवलोकन

राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक गतिशील योगदानकर्ता के रूप में उभरा है।

- वर्ष **2025-26** में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका प्रचलित मूल्यों पर **5.25 प्रतिशत** योगदान रहा है।

☑ **प्रमुख आर्थिक संकेतक (अनुमानित 2025-26)**

- **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP):** प्रचलित मूल्यों पर इसके **₹ 18.75 लाख करोड़** तक पहुँचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के ₹ 17.01 लाख करोड़ से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
- **प्रति व्यक्ति आयः** यह **₹ 2.02 लाख** अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले **9.32 प्रतिशत** की वृद्धि को प्रदर्शित करती है।
- **आर्थिक वृद्धि का आधारः** राज्य घरेलू उत्पाद नीतिगत निर्णयों, निवेश और विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में क्षेत्रवार योगदान
राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी इस प्रकार हैः

क्षेत्र	योगदान (%)	मुख्य विशेषताएँ
सेवा क्षेत्र	47.71%	सबसे बड़ी हिस्सेदारी; पर्यटन, IT और वित्तीय सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि।
औद्योगिक क्षेत्र	26.55%	इसमें MSME और बड़े पैमाने की विनिर्माण इकाइयाँ शामिल हैं।
कृषि क्षेत्र	25.74%	कार्यबल के एक बड़े हिस्से को आजीविका प्रदान करता है।

चुनौतियाँ और समाधान

- **चुनौतियाँः** जल संकट, जलवायु संवेदनशीलता और क्षेत्रीय विषमताएँ।
- **रणनीतिः** नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) में निवेश, डिजिटल परिवर्तन, बुनियादी ढाँचे का विकास और शिक्षा व स्वास्थ्य प्रणालियों का आधुनिकीकरण।

विजन स्टेटमेंटः विकसित राजस्थान@2047

- राज्य का लक्ष्य राजस्थान को एक **मॉडल राज्य** के रूप में स्थापित करना है जो सतत् विकास, वित्तीय स्थिरता और नागरिक केंद्रित शासन की मिसाल बने। इसके एक्शन एजेंडे में निम्नलिखित शामिल हैंः
  - डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और समावेशी आर्थिक विकास।
  - सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही।

राज्य की अर्थव्यवस्था

राजस्थान और भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP/GDP) की तुलना

राज्य की आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए प्रचलित और स्थिर (2011-12) दोनों कीमतों पर तुलना की गई है।

☑ **प्रचलित कीमतों पर (At Current Prices)**

- **राजस्थान का GSDP:** वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, यह **₹ 18.75 लाख करोड़** संभावित है, जो पिछले वर्ष (₹ 17.01 लाख करोड़) की तुलना में **10.24 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।
- **अखिल भारत का GDP:** वर्ष 2025-26 में यह ₹ 357.14 लाख करोड़ अनुमानित है, जो **8.0 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।
- **योगदानः** अखिल भारतीय जीडीपी में राजस्थान का हिस्सा **5.25 प्रतिशत** रहने की संभावना है।

☑ **स्थिर (2011-12) कीमतों पर (At Constant Prices)**

मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों का उपयोग किया जाता है।

- **राजस्थान का GSDP:** वर्ष 2025-26 में यह **₹ 9.82 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष (₹ 9.04 लाख करोड़) से **8.66 प्रतिशत** की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है।
- **अखिल भारत का GDP:** स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी ₹ 201.90 लाख करोड़ अनुमानित है, जो **7.4 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाती है।
- **योगदानः** स्थिर कीमतों पर भारतीय जीडीपी में राजस्थान का हिस्सा **4.86 प्रतिशत** रहने का अनुमान है।

तुलनात्मक आँकड़े
(वर्ष 2025-26 अग्रिम अनुमान)

विवरण	राजस्थान (₹ करोड़)	अखिल भारत (₹ करोड़)	वृद्धि दर (राज./ भारत)
प्रचलित कीमतें	18,75,413	3,57,13,886	10.24% / 8.0%
स्थिर (2011-12) कीमतें	9,81,807	2,01,89,919	8.66% / 7.4%

सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि दरः तुलनात्मक विश्लेषण

स्थिर (2011-12) कीमतों पर राजस्थान और भारत की विकास दर के आँकड़े इस प्रकार हैं:

- **वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान):** राजस्थान की वृद्धि दर **8.66%** अनुमानित है, जबकि अखिल भारत की दर **7.4%** है।
- **वर्ष 2024-25:** राजस्थान की दर **8.77%** रही, जो भारत की **6.5%** विकास दर से अधिक थी।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)

सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में से स्थायी पूँजीगत उपभोग (Depreciation) को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है।

☑ प्रचलित कीमतों पर (At Current Prices)

- **अनुमान:** वर्ष 2025-26 में NSDP **₹ 16.85 लाख करोड़** रहने का अनुमान है।
- **वृद्धि:** यह वर्ष 2024-25 के ₹ 15.25 लाख करोड़ की तुलना में **10.48%** की वृद्धि दर्शाता है।

☑ स्थिर (2011-12) कीमतों पर (At Constant Prices)

- **अनुमान:** वर्ष 2025-26 में यह **₹ 8.59 लाख करोड़** रहने की संभावना है।
- **वृद्धि:** पिछले वर्ष (₹ 7.89 लाख करोड़) के मुकाबले इसमें **8.90%** की वृद्धि दर्ज की गई है।

राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़ में)

मद / वर्ष	2023-24 (संशोधित)	2024-25 (संशोधित)	2025-26 (अग्रिम)
प्रचलित कीमतें	13,61,835	15,25,291	16,85,118
वृद्धि दर (%)	13.26%	12.00%	10.48%
स्थिर कीमतें	7,24,575	7,89,133	8,59,333
वृद्धि दर (%)	7.50%	8.91%	8.90%

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)

- **गणना:** प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है।
- **महत्व:** यह लोगों के जीवन स्तर और उनके कल्याण का एक महत्वपूर्ण सूचक है।

☑ प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय (At Current Prices)

- **राजस्थान का अनुमान:** वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, यह **₹ 2,02,349** रहने की संभावना है।
- **वृद्धि:** यह पिछले वर्ष (2024-25) के ₹ 1,85,095 की तुलना में **9.32 प्रतिशत** की वृद्धि को दर्शाता है।

राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित कीमतों पर) आँकड़े में दिए गए हैं :

रुपये (₹)

विवरण / वर्ष	2023-24 (संशोधित)	2024-25 (संशोधित)	2025-26 (अग्रिम)
राजस्थान (PCI)	₹ 1,67,027	₹ 1,85,095	₹ 2,02,349
वृद्धि दर (%)	12.05%	10.82%	9.32%
अखिल भारत (PCI)	₹ 1,88,892	₹ 2,05,324	₹ 2,19,575
वृद्धि दर (%)	11.7%	8.7%	6.9%

☑ प्रमुख निष्कर्ष

- **तुलनात्मक वृद्धि:** वर्ष 2025-26 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर (**9.32%**), अखिल भारतीय वृद्धि दर (**6.9%**) की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है।

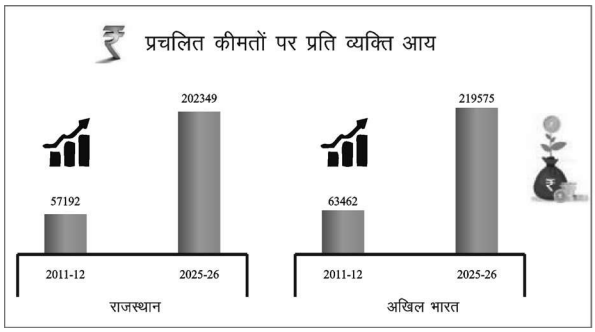

☑ प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011-12) कीमतों पर

स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आर्थिक सुधार और क्रय शक्ति का मापन करती है।

- **राजस्थान का अनुमान:** अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2025-26 में यह **₹ 1,03,189** अनुमानित है।
- **वृद्धि दर:** यह पिछले वर्ष (₹ 95,762) की तुलना में **7.76 प्रतिशत** की वृद्धि को दर्शाता है।
- **तुलनात्मक वृद्धि:** राजस्थान की वृद्धि दर (**7.76%**), अखिल भारतीय वृद्धि दर (**6.3%**) से अधिक रहने की संभावना है।

प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011-12) कीमतों पर (₹)

वर्ष	राजस्थान (PCI)	वृद्धि दर (%)	अखिल भारत (PCI)	वृद्धि दर (%)
2023-24	88,868	6.35	1,08,786	8.6
2024-25	95,762	7.76	1,14,710	5.4
2025-26 (AE)	1,03,189	7.76	1,21,968	6.3

राजस्थान सरकार का बजट 2026-27

राजस्थान सरकार का बजट 2026-27 का सारगर्भित प्रस्तुतीकरण

राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी, 2025 को वित्त वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पेश किया गया।

- यह बजट राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया। यह भजनलाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है।
- इसमें 'विकसित राजस्थान @2047' के लक्ष्य के अनुरूप बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर रखते हुए **10 'विकास स्तम्भ'** आधारित घोषणाएँ की गई हैं।

राजस्थान बजट 2026-27 के महत्वपूर्ण तथ्य

आर्थिक परिदृश्य और राजकोषीय संकेतक (Economic & Fiscal Indicators):

- **बजट आकार:** कुल बजट आकार ₹6,10,956 करोड़ रखा गया है।
- **कुल बजट अनुमान:** वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ **₹3,25,740.14 करोड़** और राजस्व व्यय **₹3,50,054.07 करोड़** है।
- **राजस्व घाटा (Revenue Deficit):** राजस्व घाटा ₹24,313.93 करोड़ दर्शाया गया है।
- **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):** 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा ₹79,492.52 करोड़ रहने का अनुमान है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का **3.69%** है।
- **अर्थव्यवस्था का आकार:** राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार (GSDP) 2026-27 में ₹21,52,100 करोड़ होने का अनुमान है। **(41.39% की वृद्धि)**
- **पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure):** राज्य के विकास के लिए ₹53978.41 करोड़ का पूँजीगत परिव्यय प्रस्तावित किया है, जो पिछले वर्ष से **36.9%** अधिक है।
  - राजकीय उपक्रमों को मिलाकर यह राशि ₹1 लाख करोड़ से अधिक होगी।
- **प्रति व्यक्ति आय:** वर्ष 2025-26 के अंत तक प्रति व्यक्ति आय बढ़कर **₹2,02,349** होने का अनुमान है।

'विकसित राजस्थान 2047' के 10 संकल्प:

- सरकार ने **'विकसित राजस्थान @ 2047'** के विजन डॉक्यूमेंट के तहत 10 संकल्प निर्धारित किए हैं, जिनमें बुनियादी ढाँचा, कृषि, युवा, महिला सशक्तिकरण और हरित विकास शामिल हैं।

पहला स्तम्भ : अव-संरचना का विस्तार

- 'स्थायी विकास के लिए सुदृढ़ आधारभूत संरचना' के मंत्र के साथ सरकार प्रदेश के कायाकल्प में जुटी है। इस विजन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- **रिकॉर्ड पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)**
  - वर्ष 2024-25 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर **₹30,427** करोड़ का पूँजीगत व्यय किया गया है, जो प्रदेश के इतिहास में **अब तक का सर्वाधिक** है।
- **सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण**
  - प्रदेश में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए 'रोड नेटवर्क' पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार के वर्तमान कार्यकाल में सड़क निर्माण आँकड़े–
    - **कुल व्यय** : लगभग ₹27,860 करोड़
    - **कुल विकसित सड़कें** : 42,000 किलोमीटर
    - **नवीन सड़कें** : 16,430 किलोमीटर
    - **प्राथमिकताएँ** : ब्लैक स्पॉट्स सुधार, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बाईपास और औद्योगिक पहुँच मार्ग।

आय-व्ययक विवरण 2026-27 : एक नजर में (लाख में)

क्र. सं.	विवरण	संशोधित अनुमान (2025-26)	आय व्ययक अनुमान (2026-27)
1	**कुल प्राप्तियाँ**	**55868198.66**	**61117400.07**
1A	राजस्व प्राप्तियाँ	28553334.34	32574013.55
1B	पूँजीगत प्राप्तियाँ	27314864.32	28543386.52
1B(i)	जिसमें से गैर ऋण प्राप्तियाँ	**144618.20**	**39980.98**
2	**कुल व्यय**	**55859615.59**	**61095630.01**
2A	राजस्व व्यय	31851625.73	35005407.08
2A (i)	जिसमें से ब्याज भुगतान	4296067.76	4367521.93
2B	पूँजीगत व्यय	24007989.86	26090222.93
2B (i)	जिसमें से पूँजीगत परिव्यय	3942917.44	5397841.08
2B (ii)	ऋण एवं अग्रिम	152671.37	159998.78
3	**राजस्व घाटा (2A-1A)**	-3298291.39	-2431393.53
4	**बजट आधिक्य (1-2)**	8583.07	21770.06
5	**राजकोषीय घाटा [(2A+2B(i))+2B(ii)-(1A+1B(i))]**	7249262.00	7949252.41
6	**प्रारम्भिक घाटा [5-2A(i)]**	2953194.24	3581730.48

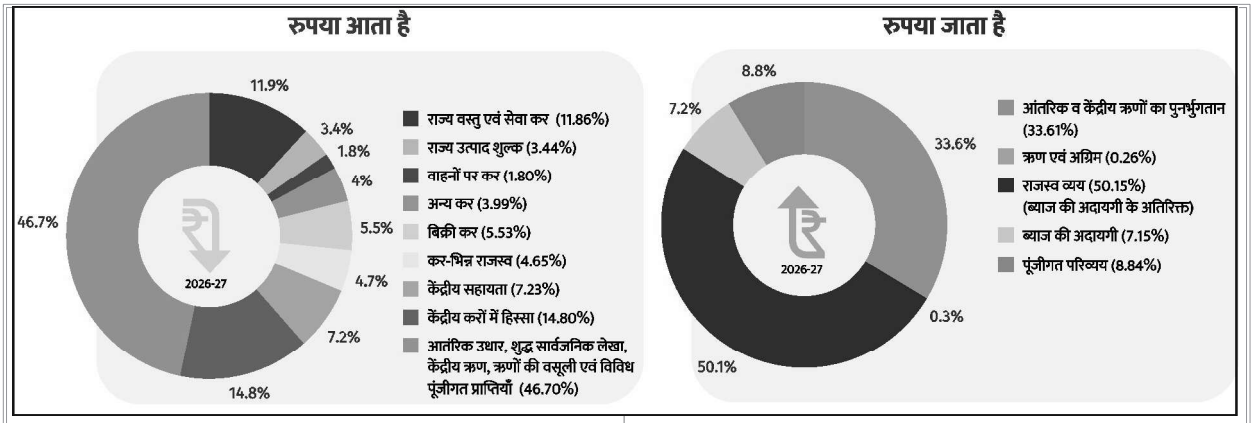

- **भविष्य की योजनाएँ (प्रस्तावित कार्य)**
  - शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को और बेहतर बनाने के लिए ₹ 1,800 करोड़ की लागत से निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं:
    - State Highways का निर्माण और मरम्मत।
    - ROB (रेलवे ओवर ब्रिज), RUB (रेलवे अंडर ब्रिज) और फ्लाईओवर्स का निर्माण।
    - एलिवेटेड रोड और पुलों (Bridges) का उन्नयन।
  - **धरमपुरा (बाड़मेर), मसूदा (ब्यावर), कन्याखेड़ी (भीलवाड़ा)** सहित विभिन्न **औद्योगिक क्षेत्रों एवं Logistic Parks** के पहुँच मार्गों के विकास के लिए ₹ 400 करोड़ प्रस्तावित।
  - **आईटीएस** (Intelligent Transport System) आधारित 500 किमी. के स्टेट हाइवे (मय पुलिया व बाईपास) निर्माण हेतु **₹ 2700 करोड़** का प्रस्ताव किया गया है।

☆ **सार:** सरकार का लक्ष्य 'विकसित राजस्थान@2047' के तहत विश्वस्तरीय सड़क कनेक्टिविटी और आधुनिक परिवहन तंत्र विकसित करना है। 2047 तक सड़क दुर्घटना से मृत्यु में **90% कमी लाने का लक्ष्य**।

☑ **पेयजल**

- **मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी)** के तहत् **₹ 5,830 करोड़** के कार्य चरणबद्ध रूप से कराए जाएँगे।
- मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) द्वितीय चरण में ₹ 2,530 करोड़ के व्यय से 83 शहरों में सर्विस लेवल संवर्द्धन कार्य करवाए जाएँगे।
  - जयपुर में जल प्रबंधन हेतु Centre of Exellence (₹ 10 करोड़ के व्यय से)
  - **Bureau of Water use Efficiency** की स्थापना की जाएगी।
  - Rajasthan State Water Policy लाई जाएगी। जिसमें Raw Water तथा Treated Water के नीतिगत प्रावधान किए जाएँगे।
  - डिजिटल प्रबंधन व रख-रखाव के लिए **ईआरपी** (Enterprise Resource Planning) लागू की जाएगी।

☑ **ऊर्जा**

- प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता में 19,209 मेगावॉट की वृद्धि हुई है।
- पीएम-सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनान्तर्गत 518 मेगावॉट क्षमता के 30 हजार से अधिक **Rooftop Solar Plants** स्थापित किए गए हैं।
- **प्रस्ताव-**
  - बीकानेर में **मेहरासर-दीनसर-बराला** व **सबाईसर-करणीसर भटियान-बिकलोई** तथा जैसलमेर में **राघव-सेहुला क्षेत्र** में 4,830 मेगावॉट क्षमता के सौर पार्कों का विकास संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाएगा। इन पर ₹ 2900 करोड़ का व्यय होगा।

दूसरा स्तंभ – नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन-स्तर में वृद्धि

- सरकार का लक्ष्य 'विजन 2047' के अनुरूप प्रदेशवासियों को आधुनिक, सुरक्षित और व्यवस्थित शहरी एवं ग्रामीण जीवन प्रदान करना है।

☑ **शहरी गतिशीलता एवं यातायात (Urban Mobility)**

- शहरी यातायात को सुगम और 'सिग्नल फ्री' बनाने के लिए Comprehensive Mobility Plan लागू किया जा रहा है:
  - **कुल बजट:** ₹ 2,325 करोड़ (जिसमें ₹ 1,000 करोड़ केवल जयपुर के लिए)।
  - **प्रमुख कार्य:** ITMS (इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम), अर्बन मोबिलिटी एप, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और चौराहे सुधार।
  - **पार्किंग:** जयपुर, कोटा, अजमेर सहित प्रमुख शहरों में **Smart Parking** और माउंट आबू में मल्टी-स्टोरी पार्किंग।
  - **EV क्रांति:** 100 प्रमुख पार्किंग स्थलों पर **EV-Charging Stations** की स्थापना।
- **गम्भीरी रिवर फ्रंट** : चित्तौड़गढ़ पन्नाधाय सेतु से महाराणा प्रताप सेतु के मध्य ₹ 20 करोड़ के व्यय से गम्भीरी रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा।

योजनावार व्यय

योजनावार विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में किए प्रावधानों का मुख्य शीर्षवार विवरण (2026-27)

कुल राशिः 2,62,781.58 करोड़

क्षेत्र (Sector)	आवंटित राशि (₹ करोड़ में)	हिस्सेदारी (% में)
आधारभूत अवसंरचना	58,460.44	22.25%
शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था	46,017.40	17.51%
ग्रामीण विकास	33,418.86	12.72%
सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन	28,489.35	10.84%
स्वास्थ्य एवं कल्याण	27,069.37	10.30%
शहरी विकास	20,323.61	7.73%
जल सुरक्षा एवं अनुकूलता	17,220.30	6.55%
कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण	14,398.20	5.48%
औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि	6,441.07	2.45%
पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता	4,536.64	1.73%
प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएँ	3,799.98	1.45%
वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति	2,096.44	0.80%
पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास	509.92	0.19%

☆ **नोटः** तालिका में दी गई प्रतिशत हिस्सेदारी उस विशिष्ट क्षेत्र के लिए कुल योजना व्यय का भाग दर्शाती है।

☆ सबसे अधिक आवंटन आधारभूत अवसंरचना (22.25%) क्षेत्र के लिए किया गया है।

कृषि बजट

कृषि, कृषक कल्याण एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर कुल व्यय

क्र. स.	क्षेत्र	आय-व्यय अनुमान 2026-27 (₹ लाख)
1	कृषि सब्सिडी (विद्युत अनुदान, ब्याज अनुदान, गौशालाओं आदि को अनुदान)	42,19,110.74
2	कृषि साख (किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण)	25,48,000.02
3	बाँध, नहरें, कृषि कनेक्शन एवं अन्य आधारभूत संरचना विकास	18,13,207.06
4	कृषि बीमा (फसल एवं पशु बीमा आदि)	5,98,793.19
5	सामाजिक सुरक्षा (मनरेगा, लघु एवं सीमान्त किसानों को पेंशन आदि)	7,03,982.91
6	कृषि उपज मण्डी समिति	9,00,170.51
7	कृषि शासकीय व्यवस्था	4,91,501.34
8	कृषि आधारित अन्य गतिविधियां	4,84,707.28
9	कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा कौशल विकास	1,81,338.44
	कुल योग	1,19,40,811.48

ग्रीन बजट

पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रीन ग्रोथ के लिए योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान

क्र. स.	क्षेत्र	आय-व्यय अनुमान 2026-27 (₹ लाख)
1	कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण	5,30,564.39
2	स्वास्थ्य एवं कल्याण	20,527.01
3	शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था	20,807.18
4	सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन	6,318.30
5	औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि	4,270.05
6	पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास	188.54
7	आधारभूत अवसंरचना	8,54,575.31
8	जल सुरक्षा एवं अनुकूलता	7,76,346.81
9	पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता	1,89,716.65
10	ग्रामीण विकास	6,83,437.79
11	शहरी विकास	1,63,566.00
12	प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं	97,227.74
13	वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति	7.06
	कुल योग	**33,47,552.83**

चाइल्ड बजट

18 वर्ष तक के बालक / बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा विकास से संबन्धित क्षेत्रों मे किए गए प्रावधान का विवरण

क्र. स.	क्षेत्र	आय-व्यय अनुमान 2026-27 (₹ लाख)
1	स्वास्थ्य एवं कल्याण	8,616.13
2	शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था	43,26,667.71
3	सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन	7,78,498.43
	कुल योग	**51,13,782.27**

☆ नोटः शिक्षा और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग ₹ 43.26 लाख करोड़) आवंटित किया गया है, जो बच्चों के भविष्य के प्रति सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।